असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा 24 जुलाई, 2019 ई0

---------- बुधवार, तिथि ----------

त्रयोदश सत्र 02 श्रावण, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

सत्यदेव जी, क्या सुन लिया जाय, किसकी जिंदगी का क्या होगा ? सत्यदेव जी, आप समय पर उठाइयेगा तो कुछ निदान निकलेगा, अभी उठाइयेगा कुछ नहीं निदान निकलेगा । आप समय पर उठाइयेगा । अल्पसूचित प्रश्न सं0-28 श्री मिथिलेश तिवारी ।

(व्यवधान)

आप समय पर उठाइयेगा । आप समय पर सुनाइयेगा । माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, माननीय मिथिलेश तिवारी जी के प्रश्न का उत्तर दें ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-28(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के शिक्षुता (संशोधन) नियम-2015 की कंडिका-7(ख)(3) में प्रावधान है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक प्रतिष्ठान संविदात्मक कर्मचारियों सहित प्रतिष्ठान के कुल कर्मचारी संख्या के ढाई प्रतिशत से दस प्रतिशत तक की सीमा में शिक्षुओं को काम पर रखेगा ।

2-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राज्य के अन्तर्गत अवस्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों में आइ0टी0आइ0 उत्तीर्ण 389 प्रशिक्षणार्थियों को सत्र 2018-19 में शिशिक्षु प्रशिक्षण दिया जा रहा है । शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रों को इंजीनियरिंग एवं नन-इंजीनियरिंग के डेजीग्नेशन ऑप्शन ट्रेड में अर्हता के अनुसार एन0सी0वी0टी0 एम0आइ0एस0 पोर्ट्ल पर निंबधन के अन्तर्गत निबंधन करना अनिवार्य है । निबंधन के पश्चात् पोर्ट्ल द्वारा निर्गत निबंधन संख्या से इस्टेबलिशमेंट

सर्च के माध्यम से पोर्ट्ल पर निबंधित किसी राज्य के किसी भी प्रतिष्ठान में डेजीग्नेशन ऑप्शन ट्रेड में शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं । तत्पश्चात् आवेदित प्रतिष्ठान द्वारा आवेदकों का चयन कर पोर्ट्ल के माध्यम से ऑफर लेटर आवेदक को जारी किया जाता है । आवेदक की सहमति के उपरांत प्रतिष्ठान द्वारा शिशिक्षु प्रशिक्षण किया जाता है । वर्तमान में अप्रैंटिसशिप पोर्ट्ल पर 389 प्रशिक्षणार्थी निबंधित हैं जिसमें 270 प्रशिक्षणार्थी आइ0टी0आइ0 उत्तीर्ण हैं ।

3-शिक्षु प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत कुल कर्मचारी संख्या के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की सीमाओं में शिक्षुओं को काम पर रखने का प्रावधान है । उक्त के आलोक में विभिन्न प्रतिष्ठानों में स्वीकृत कार्यबल की संख्या के विरूद्ध लगभग 4.5 प्रतिशत शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । शिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के लिए वर्तमान में समय-समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में अप्रैंटिसशिप मेला आदि का अयोजन कर राज्य में, राज्य के बाहर के प्रतिष्ठानों द्वारा शिक्षुओं का चयन किया जा रहा है । सरकार विभिन्न प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं की संख्या अधिकतम करने हेतु प्रयासरत है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में भी यह माना है कि बिहार राज्य में अभी जो शिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी संख्या 4.5 परसेंट ही है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ चूंकि मेरे क्षेत्र में ही भारत सुगर मिल सिधवलिया है । वहां 4 परसेंट, 3 परसेंट के आधार पर ही लगभग उनके द्वारा हर वर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रायः पूरे राज्य में आइ0टी0आइ0 की संख्या ज्यादा है तो बिहार के बच्चे आइ0टी0आइ0 ज्यादा पास कर रहे हैं और आइ0टी0आइ0 पास करने के बाद उनके लिए यह आवश्यक है कि वे किसी न किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जाकर के अप्रैंटिस करें ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : मेरा पूरक यही है माननीय मंत्री जी से कि भारत सरकार का ये जो गजट में प्रावधान किया गया है उसमें 7(ख) में माननीय मंत्री जी ने 3 का उल्लेख किया है और 4 का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है । मैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि भारत सरकार का यह जो 7(ख) में चौथे नंबर पर प्रावधान है 15 परसेंट को अधिकतम किया है । क्या माननीय मंत्री जी राज्य के जो आइ0टी0आइ0 उत्तीर्ण छात्र हैं, जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, राज्य के सिधवलिया चीनी मिल सहित राज्य के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इसकी सीमा 15 परसेंट करने का विचार रखते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कंडिका-3 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक प्रतिष्ठान संविदात्मक कर्मचारियों सहित प्रतिष्ठान के कुल कर्मचारी संख्या के ढाई प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की सीमा में शिक्षुओं को काम पर रखेगा । कंडिका-4 में किसी भी माह में ये वित्तीय वर्ष का कह रहा है 10 प्रतिशत और ये किसी भी माह में शिक्षुओं की संख्या इस शर्त्त के अधीन स्थापना के कुल कर्मचारी संख्या के 2 प्रतिशत से कम एवं स्थापना के कुल कर्मचारी संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या किसी वित्तीय वर्ष में ढाई प्रतिशत के अनुरूप शिक्षुओं महीनों की बाध्यता को पूरा करेगा तो वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत ही कहा जा रहा है । किसी माह का आंकड़ा लिया नहीं जा सकता है, वित्तीय वर्ष का आंकड़ा लिया जायेगा और भी जहां का यह क्वेश्चन है और जिससे संबंधित किये हैं हमने बताया है कि हमलोग वहां लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, शुरू हुआ है अच्छा परफोरमेंस हैं, कई इन्डस्ट्रीज के परफोरमेंस में बढ़ोत्तरी हो रही है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय मंत्री जी के विभाग का पत्र भी है। मैंने स्वयं भी पत्र लिखा था उसका जवाब आया है, यह 29.06.2018 का पत्र है । महोदय, उसमें विभाग के तरफ से डायरेक्शन भी गया था ढाई परसेंट से 10 परसेंट तक का लेकिन उस चीनी मिल ने नहीं माना और इसकी सूचना भी मैंने विभाग को दी है । विभाग से दुबारा भी पत्र गया तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि विभाग भी अगर 10 परसेंट का डायरेक्शन दे रहा है और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान इसको पूरा नहीं कर रहे हैं उसपर सरकार के माध्यम से कोई कार्रवाई हो सकती है क्या ?

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्री : महोदय, इनके पत्र मे0 भारत सुगर मिल सिधवलिया का 426 पोर्ट्ल पर उनका है कर्मचारियों की संख्या, उसमें अप्रैंटिस की संख्या 19 हमलोग बढ़ाये हैं 4.46 और हमलोग बढ़ाने के लिए उन लोगों के साथ बैठक उच्च स्तर पर किया गया है और हमलोग प्रयासरत हैं कि वे 10 तक वे ले जाएं ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-29(श्री ललित कुमार यादव)</u>

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा द्वारा विभाग को जो प्रश्न उपलब्ध कराया गया है उसमें पुस्तक में छपे प्रश्न में विसंगति है । इसमें समय चाहिए ।

अध्यक्ष : क्या ?

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : विधान सभा के द्वारा जो प्रश्न उपलब्ध कराया गया है उसमें पुस्तक में जो प्रश्न छपा है उसमें विसंगति है । इसमें समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, सदन के पास या आसन के पास परसों तक का ही समय है, परसों इस सत्र का अंतिम दिन है । इसलिए हम इसको परसों के लिए स्थगित करते हैं । इसमें एक और बात है माननीय सदस्य से भी मेरी चर्चा हुई है कि एक प्रश्न में तीन-चार जिलों की बात नहीं आनी चाहिए । इसलिए इस प्रश्न का मैनडेट जो है यह प्रश्न दरभंगा जिला के संबंधित पंचायतों तक सीमित रहेगा । आप उत्तर सिर्फ दरभंगा के जिन पंचायतों का जिक्र इसमें है । आप देख रहे हैं न?

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : जी, उतना तो हम दे सकते हैं ।

अध्यक्ष : केवल आप दरभंगा के बारे में परसों उत्तर दीजिएगा ।

श्री ललित कुमार यादव : मंत्री जी कहते हैं कि दे सकते हैं, कह रहे हैं कि दरभंगा जिला के जिन तीन पंचायतों का उल्लेख है वे जवाब दे सकते हैं, वे बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप दीजिएगा ?

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : तो दीजिए । आप समझ गये न ललित जी, तीन जोड़कर ही आप घचपचा दिये थे।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी प्रखंड के ग्राम पंचायत चनौर एवं उजान में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का निरीक्षण विभागीय तकनीकी कोषांग के अभियंताओं से करायी गयी है । निरीक्षण प्रतिवेदन में पायी गयी अनियमितताओं से जिला पदाधिकारी, दरभंगा को विभागीय पत्र सं0-3929, दिनांक 20.06.19 से अवगत कराते हुए डब्लू0एम0सी0 के अध्यक्ष के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

क्रमशः

टर्न-2/ज्योति/24-07-2019

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : डब्लू.ए.एम.सी. अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में बरती गयी अनियमितता विभागीय पत्रांक 1184 दिनॉंके 14-2-19 की कंडिका 3 के अनुसार ऐसे दृष्टान्तों में किए गए व्यय निष्फल व्यय की श्रेणी में आते हैं एवं इसकी वसूली डब्लू.ए.एम.सी. के अध्यक्ष से होनी है तथा इसके विरुद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम के अंतर्गत निलाम पत्र वाद दायर कर वसूली सुनिश्चित की जानी है। जहॉं तक मानक के अनुसार बोरिंग नहीं किए जाने तथा मानक स्तर से पाईप का इस्तेमाल नहीं किए जाने के संबंध में कहना है कि विभागीय स्तर से जॉंच कराने के उपरांत पायी गयी गुणवत्ता शिपेज के अनुसार नहीं पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 3 पंचायत का मैं सिर्फ उत्तर इनसे मांग रहा हूं, सदर प्रखंड के सोनकी और मनिगाछी के गंगोली, खड़गपुर और

उजान और इस तीन पंचायत में से माननीय मंत्री जी ने एक पंचायत का जवाब दिया तो शेष पंचायत के बारे में मंत्री जी का क्या कहना है । यह तो बताईये । सिार्फ एक ही पंचायत के बारे में उन्होंने कहा है ।

अध्यक्ष : एक पंचायत में उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी पकड़ायी है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ठीक है लेकिन दो पंचायत का औरा जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : इसमें और दो पंचायत है माननीय मंत्री जी । आपने जो कहा कि ये जो मानक स्तर का पाईप इस्तेमाल नहीं किए जाने का आरोप है उसकी जॉच भविष्य में करवाई जायेगी, उसको एक समय सीमा के अंदर जॉच करा लीजिये क्योंकि यह सरकार की सिर्फ महत्वाकांक्षी योजना ही नहीं है, एक क्रांतिकारी योजना है । हर गरीब के दरवाजे तक पाईप का जल पहुंच रहा है । इसलिए इसमें निश्चित रुप से विभाग को सतर्कता बरतनी चाहिए ।

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : एक सप्ताह के अंदर इसकी जॉच करवा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, दो पंचायत और है ।

अध्यक्ष : अब वह अलग मंत्री जी को लिख कर दे दीजिये ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी..

अध्यक्ष : क्या ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा ।

श्री ललित कुमार यादव : हम तीन पंचायत का प्रश्न उठाये हैं और माननीय मंत्री जी ने सिर्फ एक पंचायत के बारे में कहा है ।

अध्यक्ष : बाकी का दो का कहे कि एक हफ्ता में जॉच करा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जॉच किससे करायेंगे ?

अध्यक्ष : एक पंचायत की जॉच जिससे करवाये हैं और उसमें गड़बड़ी पायी गयी तो उसी से जॉच करवायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती देता हूं कि कोई जॉच नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : वह तो कार्रवाई की बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि जॉच नहीं हुई ।

श्री ललित कुमार यादव : किनसे ये जॉच करवाये हैं ।

अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी फिर से जवाब पढ़ना पड़ेगा । आप क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : हम चाहते हैं कि दो पंचायत का और शेष जवाब हो । महोदय, माननीय मंत्री जी को जानकारी है जॉच वहॉ निम्न स्तर के पदाधिकारी द्वारा हुई है ।

अध्यक्ष : आप जॉच ही न चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप सुन तो लीजिये, हम कह रहे हैं कि ये तीनों पंचायत में करोड़ों की फर्जी निकासी हुई है, कार्य धरातल पर नहीं हुआ है । हम चाहते हैं कि सदन की कमिटी से जॉच करा दी जाय ।

अध्यक्ष : सदन का कहॉ प्रश्न उठता है ।

श्री ललित कुमार यादव : निगरानी विभाग से इसकी जॉच कराईये ।

अध्यक्ष : इसकी जॉच कलक्टर से कराईये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गड़बड़ी पायी गयी और प्रबंध समिति के अध्यक्ष पर कार्रवाई की जायेगी । अध्यक्ष महोदय, ठीक है, वार्ड मेम्बर अध्यक्ष हैं तो कहीं भी बिना पदाधिकारी की संलिप्तता के इसमें गड़बड़ी नहीं हो रही है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस वार्ड मेम्बर पर कार्रवाई की जायेगी तो वार्ड मेम्बर के साथ साथ क्या इसमें जो पदाधिकारी संलिप्त हैं या पंचायत के जो पदाधिकारी हैं या कनीय अभियंता है या बी.डी.ओ. हैं क्या उनपर भी जॉच करायी जायेगी मैं यह जानना चाहता हूँ ?

अध्यक्ष : संजय जी, अगर पाईप गुणवता के आधार पर आपूर्ति नहीं की गयी है या बोरिंग करने में पाईप लगाने में अगर गड़बड़ी की गयी है और कमिटी के अध्यक्ष पर कार्रवाई होगी तो स्वाभाविक रुप से इसमें शामिल जो अधिकारी कर्मचारी होंगे, उनके विरुद्ध भी सरकार कार्रवाई करेगी ।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या-30 (श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रश्न है इसलिए योजना एवं विकास विभाग में स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पौर्टेंट क्वेश्चन है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, आप निदेश दे दें कि परसों इसका जवाब दे दें ।

अध्यक्ष : हॉ, तो परसों योजना एवं विकास विभाग इसका जवाब देगा ।

अब तो आप ही का है अल्प सूचित प्रश्न संख्या 31, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या 31 (श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी)

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदनानुसार उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2-पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 9 दिनॉक 31-08-2012 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या 3 (स्वी) दिनॉक 03-06-19 में निहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के मुख्यालय ग्राम में पंचायत सरकार भवन का निर्माण यथा संभव सराकारी/सार्वजनिक भूमि पर कराया जाना है । सरकारी/सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में बिहार राज्यपाल के नाम से निबंधित कर दान स्वरुप दी गयी भूमि पर भी पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने का प्रावधान है । जिन पंचायतों में इस प्रकार की भूमि पहले उपलब्ध हो जाती है, उन पंचायतों में पहले पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रावधान है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : महोदय, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सरकार की नीति है कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाना है और सरकार ने यह निर्देश दिया है कि मुख्यालय में बनाना है यदि मुख्यालयमें जगह नहीं है तो पंचायत में जहॉ भी सार्वजनिक स्थान है वहॉ पर बनाया जा सकता है तो सरकार ने कहा कि कोई निजी निबंधित करेगा फिर तो हम बनायेंगे तो निजी जमीन कौन देगा इस महंगाई में, इसलिए सरकार ने पंचायत में जहॉ भी सरकारी जमीन उपलब्ध है अगर मुख्यालय में जगह नहीं मिलती है तो क्या वहॉ बनाने का निर्देश देगी या नीति बनायेगी ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि पहली प्राथमिकता वहॉ दी जायेगी जहॉ मुख्यालय में जमीन उपलब्ध है चूंकि राज्य के सभी पंचायतों में सरकार भवन बन नहीं पा रहा है विश्व बैंकब से लोन लिया गया, फायनेंश कमीशन से राशि ली गयी जब सैच्युरेट हो जायेगा सभी पंचायतों के दर्जा मुख्यालय में जमीन उपलब्ध हैं, वहॉ जब बन जायेगा फिर सरकार विचार करेगी उन पंचायतों के बारे में जहॉ मुख्यालय में जमीन उपलब्ध नहीं है तो निश्चित विचार करेंगे लेकिन पहले उन पंचायतों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन पंचायतों में मुख्यालय में जमीन उपलब्ध है और यही माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : मैं उससे कभी भी डिफर नहीं कर रहा हूं कि सरकार का जो नियम बना है कि मुख्यालय में बनाना, जमीन मिलती है तो आप मुख्यालय में बनाईये मगर जमीन नहीं मिलती है और विश्व बैंक से लोन लिए हैं तो फिर उस पंचायत में जहॉ भी सार्वजनिक जगह है वहॉ बनवाईये ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो यही कहा है ।

अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1589 श्रीमती रंजू गीता

श्री कपिलदेव कामत, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड के पंचायत भदीयन में पंचायत भवन के नजदीक वर्ष 2007-08 में तत्कालीन माननीय विधायक श्री शाहीद अली खां के विधायक कोष से हाई मास्ट लाईट लगाया गया । संबंधित एजेन्सी को उक्त लाईट का दो वर्षों तक रख रखाव करने की जिम्मेवारी थी । इसतरह के परिसंपतियों के रख रखाव हेतुं नीति बनायी जा रही है ।

अध्यक्ष : ठीक, नीति बनायी जा रही है ।

श्रीमती रंजू गीता : ठीक है, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1592 (श्रीमती अनिता देवी) -- अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या 1999 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, खंड 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

3.वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ दो पथों से संबंधित है । नंबर 1- मुख्यालय से रेफरल अस्पताल तक पथ - इस पथ की लम्बाई 2.085 कि.मी. है जिसकी स्वीकृति शीर्ष 3054 अंतर्गत प्रदान की गयी थी । कार्य आवंटन के बाद संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं करने के कारण संवेदक को काली सूची में डाल दिया गया है । संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को स्थल जॉच कर पुनरीक्षित प्राक्कलन नयी अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत तैयार करने का निर्देश दिया गया है तद्नानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

क्रमशः

टर्न-3/24.07.2019/बिपिन

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : क्रमशः ... नम्बर 2- खुटवारा से कांटी तक जाने वाली पथ - इस पथ की पुनर्निविदा दिनांक 5.3.2019 को प्राप्त हुई किंतु लोकसभा चुनाव 2019 के आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण निविदा निष्पादन नहीं हो सका । निविदा निष्पादन की प्रक्रिया पूरी कर मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, जरा प्रश्न को देखा जाए । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसको भी देखा जाए । महोदय 2015-16 में संवेदक रंजीत ठाकुर ने निविदा दिया था उसको कार्य आवंटन हुआ था और 2015-16 के बाद हम 2019 में हैं

महोदय, टेंडर 2015-16 में हुआ और महोदय, मैं माननीय मंत्री के जवाब को चुनौती देता हूं, इन्होंने कहा कि एस.इ. से हम जांच कराकर पुनरीक्षित इस्टिमेट बनवाने का आदेश दे रहे हैं । महोदय...

अध्यक्ष : उसके पहले उन्होंने कहा है कि जो संवेदक पहले थे उनको ...

श्री ललित कुमार यादव: हॉ, उनको काली सूची में डाल दी गई है और वह सुन लिया महोदय। इसका प्रश्न नहीं है महोदय । महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी गलत बयान सदन में दे रहे हैं । पत्रांक 477 दिनांक 22.5.2018 को डी.पी.आर. समर्पित किया गया और एक साल से विमर्श, माननीय मंत्री जी विमर्श करके जो फाइल लौटाए, इनके पास पेंडिंग है महोदय । महोदय, इसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे ? चार साल से रेफरल अस्पताल है महोदय और सड़क आवागमन अवरूद्ध है । अभी भी महोदय, ये कह रहे हैं कि हम प्राक्कलन पुनरीक्षित करने का आदेश दिए हैं । 477 पत्रांक हम बताये, दिनांक 22.5.2018 से माननीय मंत्री के यहां लंबित है महोदय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, ये बता यरहे हैं तो इसकी तो हम जांच करा लेंगे लेकिन हमने इसको गंभीरता से लिया है और इस गंभीरता से लेने के कारण हमने सचिव को निदेशित भी किया है कि कार्यपालक अभियंता सहित जो भी इसमें हैं उसपर कारवाई करें और निगरानी से इसकी जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है महोदय ।

श्री ललित कुमार यादव: ठीक है महोदय, जो भी दोषी हैं, यदि मंत्री दोषी होंगे तो इनपर क्या कार्रवाई होगी ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: हमने आगे बताया महोदय, हम तो कार्रवाई की बात भी बोल दिए हैं महोदय...

श्री ललित कुमार यादव: आप पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे लेकिन लंबित आपके यहां हैं दो साल से यह, यह 477 दिनांक 22.5.2018...

तारांकित प्रश्न संख्या 2000 (श्री मुजाहिद आलम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पथों में वर्ष 1917 में आई भीषण बाढ़ में पथ क्षतिग्रस्त कटाव हो गया था जिसे तत्काल प्रभाव से मोटरेबुल करा लिया गया है । पुन: वर्ष 2019 में भीषण बाढ़ के कारण पथ क्षतिग्रस्त कटाव हो गया था जिसे पुन: तत्काल प्रभाव से मोटरेबुल करा दिया गया है । इसके बाद महोदय, इस पथ को बनवा देंगे ।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, यह जो दोनों पथ है 2017 के अगस्त के बाढ़ में यह बह गया और फिर इसको ब्रिक बैग से भर दिया गया । फिर यह 2019 में भी बह

गया तो वहां पुल की आवश्ययकता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह कब तक वहां पर पुल बनाने की कार्रवाई करेंगे ? जब तक वह पुल नहीं बनेगा, तब तक वह रोड ड्यूरेबुल नहीं है । वह जिले की सबसे बड़ी मंडी को जोड़ता है वह सड़क । इसलिए वह कब तक पुल बनाएंगे ? जब तक पुल नहीं बनेगा, वह सड़क अधूरा है ।

अध्यक्ष : मुजाहिद जी, इस पुल की आवश्यकता का जिक्र अगर आप अपने प्रश्न में किया होता तो मंत्री जी आज उस पर भी कुछ बोलते लेकिन आपने तो अपने प्रश्न में भी नहीं किया है ।

मंत्री जी, वहां पर पुल की आवश्यकता देखवा लीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2001 (श्री चन्द्रशेखर)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न तीन पथों से संबंधित है - ग्राम पहड़िया से भाया भदौल, धरगॉव को जोड़ने वाली पथ - उक्त पथ की मरम्मती हेतु प्राक्कलन बुधमा से धरगांव के नाम से बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत स्वीकृत है जो निविदा की प्रक्रिया में है । तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

2- भतखोरा, हबीब चौक से बेलारी तक पथ - उस पथ के मरम्मती हेतु एन.एच.-107 जीतापुर हबीब चौक से बेलारी के नाम से बिहार ग्रामीण पथ पुनरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

3- पहड़िया से भाया मछबखड़ा नरसिंग बाग तक पथ - उक्त पथ की मरम्मती हेतु प्राक्कलन पहड़िया से नरसिंग बाग के नाम से बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत स्वीकृत है जो निविदा के प्रक्रिया में है । तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, समय-सीमा बता पाएंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : इसी वित्त वर्ष में महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2002 (श्री यदुवंश कुमार यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ दो पुलों से संबंधित है -

नम्बर एक- पीपरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम जरौली के पास पुल निर्माण कार्य - उक्त पुल के एक तरफ रतौली-जरौली ग्राम अवस्थित है जिसकी संपर्कता शेष है । एम.एन.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित एस.एच.-76 निर्मली चौक से गिरदाही पथ से प्राप्त है, दूसरी तरफ जरौली ग्राम अवस्थित है जिसकी संबद्धता पी. एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित एस.एच.76 कटैया चौक से जरौली पथ से प्राप्त है ।

नम्बर दो- गठिया विसनुपर के मध्य पुरानी नदी पर पुल निर्माण कार्य - उक्त पुल के एक तरफ विसनपुर गांव अवस्थित है जिसकी संपर्कता पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित एस.एच.106 से विसनपुर पथ से प्राप्त है, दूसरी तरफ गढ़िया ग्राम अवस्थित है जिसकी संपर्कता शीर्ष एम.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत निर्मित एन.एच.106 से राजपुर पथ से प्राप्त है । उक्त दोनों पुल के दोनों तरफ के बसावटों को संपर्कता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया गया है । इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन तत्काल नहीं है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: इस संपर्क से इसमें मतलब नहीं है माननीय मंत्री जी । यह दो पुला का है और नदी पर पुला दोनों तरफ गांव है, बीच में नदी है । पंचायत को दो भाग में बांटती है - चाहे यह विसनपुर गढ़िया का पुला हो, रतौली जरौली के मध्य का पुला हो । पंचायत को दो भाग में बांटती है । सारी शैक्षणिक संस्थान रतौली में अवस्थित है और जरौली के गांव के लोगों को वहां 7 कि.मी. से अधिक दूरी तय करके बच्चे-बच्चियों को आना पड़ता है, वह भी दूसरे पंचायत होकर के । इसलिए दोनों जगह और दोनों तरफ से सड़क बना हुआ है, बीच में सिर्फ पुल की आवश्यकता है । दूसरा पुला जो गढ़िया है उसको पंचायत से पंचायत जाने में तीन पंचायत की दूरी तय करके 13 कि0मी0 की दूरी तय करके जाना पड़ता है । यह दोनों अतिमहत्वपूर्ण पुला है और इसमें घनी आबादी है, लोगों का आर-पार करना, बच्चों के शैक्षणिक कार्य में बहुत व्यवधान है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुल का निर्माण शीघ्र, कब तक करवाएंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी पुल की आवश्यकता देखवा लीजिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2003 (श्री तारकिशोर प्रसाद)</u>

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री: महोदय वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ का प्राक्कलन मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग द्वारा जांच हेतु केंद्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भेजा जा चुका है । यह योजना आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत चयनित है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह पथ कटिहार जिला के लिए काफी महत्वपूर्ण है । अगर समय सीमा तय हो जाती तो मुझे लगता है कि जल्द-से-जल्द, यह जो एक अच्छा काम आपने किया है जो इसे अंगीभूत किया है, इसका लाभ कटिहार के लोगों को मिल जाता ।

टर्न : 04/ कृष्ण/ 24.07.2019

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, इस पूरे सड़क को मैंने ही अधिग्रहण किया है, दो पार्ट में यह सड़क अधिग्रहण हुआ है । पहले पार्ट में 29.87 किलोमीटर है, यह 18.09.2018 को अधिग्रहण हुआ है । दूसरा पार्ट 8.13 किलोमीटर था, यह 18 जनवरी, 2019 को अधिग्रहण हुआ है । महोदय, इसी अवधि में मैंने इसका प्राक्कलन बना दिया, 1 अरब 2 करोड़ 73 लाख 80 हजार का प्राक्कलन है । लंबी सड़क है । 100 करोड़ रूपया खर्च होनेवाला है । प्राक्कलन बना लिया है, RIDF में भेज दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी वित्तीय वर्ष में टेंडर करके काम प्रारंभ कराया जायेगा ।

श्री नीरज कुमार : महोदय, इसमें 3 आर0ओ0बी लगेंगे, काफी व्यस्त रेलवे लाईन है, हर 5 मिनट पर रेलगाड़ियां और माल गाड़ियां चलती रहती है । इसको भी करवा दीजिये, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है सर ।

श्री नन्द किशोर यादव : पहले बनने तो दीजिये ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-2004, माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा, आपने इसका उत्तर पढ़ा है, कल ही यह अपलोड हो गया है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2004 (श्री अभय कुमार सिन्हा)</u>

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी अनुमंडल में लोअर मोरहर सिंचाई योजनान्तर्गत मुख्य नहर लंबाई 27.15 किलोमीटर एवं नीरा शाखा नहर लंबाई 15.54 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण है । भू-अर्जन की समस्या के कारण मुरेरा माईनर, सिंघापुर माईनर, शिवनगर वितरणी एवं सलेमपुर उप वितरणी का निर्माण आंशिक रूप से हुआ है । वर्ष 2009-10 में अवशेष कार्यों के कार्यान्वयन हेतु 7.94 करोड़ रूपये की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति

दी गयी । परन्तु शत-प्रतिशत भू-अर्जन कार्य नहीं होने से अवशेष कार्य का 60 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाया है ।

3. भू अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण किये जाने के उपरांत ही अवशेष कार्यों की स्वीकृति दिये जाने का लक्ष्य है । इस हेतु विभागीय पत्रांक 870 दिनांक 10.07.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया को निर्देशित किया गया है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, इस प्रश्न की गंभीरता को आप भी समझ रहे हैं । यह 8-9 वर्ष पूर्व सरकार की तकरीबन साढ़े 800 करोड़ रूपये की लागत की यह योजना थी । माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने उत्तर में खंड-1 को स्वीकारात्मक बताया है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, इन्होंने कहा कि जहां पर भू-अधिग्रहण नहीं हुआ है, वहां पर काम नहीं हुआ है, वहां पर काम अवरूद्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसकी वरीय पदाधिकारियों से जांच करवा लें, यह काम पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है महोदय। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है । इसमें एक-दो प्रखंड नहीं बल्कि इसमें 2-3 प्रखंड प्रभावित हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने भी तो वही कहा है कि काम पूरा नहीं हुआ है । भू-अर्जन की समस्या है उसी कारण से दिक्कत हो रही है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय मैं कह रहा हूं जहां पर भू-अर्जन की समस्या है, वहां पर काम नहीं हुआ है । लेकिन जहां भू-अर्जन की कोई समस्या नहीं है वहां पर भी काम नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिये । आप सूचना दे दीजिये ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : जहां पर कोई समस्या नहीं है, वहां पर भी काम नहीं हुआ है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : वह मैं दिखवा लेता हूं ।

अध्यक्ष : जहां पर भू-अर्जन की समस्या नहीं है और वहां काम नहीं हुआ है, ऐसे स्थलों के संबंध में आप मंत्री जी को दे दीजिये, उस पर काम करायेंगे ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : ठीक है महोदय धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2005(श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव)</u>

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में उल्लिखित बसावटों की संपर्कता की स्थिति निम्नवत है :-

1. रूपसपुर गांव - रूपसपुर गांव को संपर्कता देने हेतु उसकी अर्हता की जांच की जा रही है ।

2. दुधीचक गांव : दुधीचक गांव को संपर्कता देने हेतु इसकी अर्हता की जांच की जा रही है ।

3. ओली बिगहा : यह ग्राम मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत स्वीकृत पथ हिलसा–नूरसराय पथ से ओली बिगहा तक पथ,जिसकी लंबाई 1.68 किलोमीटर है, के निर्माण के पश्चात यह संपर्कित हो जायेगा । संप्रति निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

4. अमेरा : इस गांव में पी.एम.जी.एस.वाई. अंतगर्गत निर्मित पथ है । अमेरा से छरिआई पथ से संपर्कता प्रदत है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, तीन बड़ी बसावट है, जिसको अभी तक एकल संपर्कता प्रदत नहीं है । हमलोग रोज सदन में सुनते हैं कि सबसे ज्यादा काम नालन्दा में हो रहा है । प्रतिदिन उलाहना सुनते हैं । महोदय, दुधीचक जो बसावट है या ओली बिगहा जो बसावट है या हमने जो रूपसपुर के बारे में कहा, तीनों बसावट थरथरी प्रखंड के अन्तर्गत आता है और तीनों बसावटों में जाने का एकल संपर्कता भी अभी तक प्रदत नहीं है । माननीय मंत्री ने कहा कि हम ओली बिगहा को पी.एम.जी.एस.वाई. से ले रहे हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना से और यह निविदा में है और वह प्रक्रियाधीन है ।

महोदय, हमलोगों ने 2017 में ही इसको अनुशंसा किया था और अनुशंसा होने के बावजूद, डी.पी.आर. भी बन गया, डी.पी.आर. की मांग भी की गयी, लेकिन स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इन तीनों बसावटों को संपर्कता प्रदान करना चाहेंगे ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने तो बताया जिस ओली बिगहा की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं वह तो निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है और इन दोनों का हम तुरंत जांच कराकर इस वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि हम जांच करायेंगे । इसका डी.पी.आर. बनकर तैयार है रूपसपुर और दुधीचक का ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, ओली बिगहा जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह तो निविदा निष्पादन में है और दुधीचक एवं रूपसपुर की अर्हता की जांच जल्द से जल्द हम करा देंगे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, दोनों का डी.पी.आर. तैयार है । दुधीचक का भी डी.पी.आर. तैयार है और रूपसपुर का भी डी.पी.आर. तैयार है । किन

तकनीकी पहलुओं की जांच करायेंगे, पता नहीं लेकिन दोनों का डी.पी.आर. तैयार है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2006(श्री मेवालाल चौधरी)

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी,मुंगेर के पत्रांक 640 दिनांक 13.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तारापुर विधान सभा क्षेत्र में खुदिया पंचायत अवस्थित नहीं है । तारापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लौना में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है, पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किसी माननीय सदस्य के द्वारा नहीं किया गया है । लेकिन ग्राम पंचायत लौना में उपस्थित पंचायत सरकार भवन वर्तमान समय में क्रियाशील है।

अतः भूना पंचायत के ग्राम मंजूरा में कोई पंचायत सरकार भवन नहीं है।

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, पता नहीं कहां से यह जवाब आ गया है ? दोनों पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है । चाहे वह भूना पंचायत या खुदिया अफजल नगर में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार है । बिल्कुल तैयार है महोदय और जिला पंचायती राज पदाधिकारी कह रहे हैं कि मंत्री महोदय से खबर आ जाती तो उसे भी उद्घाटन करवा कर उसमें काम-काज शुरू करवा देते ।

मेरा निवेदन है आपके माध्यम से महोदय कि उसको फौरमल इनऑर्गेट कर दिया जाय ताकि काम-काज शुरू हो जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप जल्दी से उद्घाटन कर दीजिये । आप क्यों नहीं एक दिन चले जाते हैं इनके यहां ?

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : महोदय, तारापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित सभी पंचायत सरकार भवनों को एक माह के अंदर क्रियाशील कर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2007(श्री राज किशोर सिंह)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की मरम्मति हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है । स्वीकृति के उपरांत मरम्मति का कार्य कराया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2008(श्री रत्नेश सादा)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम्य संपर्क योजनान्तर्गत कुरियापुर पी.एम.जी.एस.वाई., हराहरी से रामपोखर मुशहरी भाया परसाहा तक जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है, के नाम

से निर्माणाधीन है जिसके कार्यारंभ की तिथि 01.03.2019 है । उक्त पथ पर पुलिया के निर्माण कार्य में उपयोग किये गये निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता जांच कार्यपालक अभियंता क्षेत्र प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, सहरसा से करायी गयी है, जो संतोषजनक पाया गया है । निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है ।

वैसे माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम इसकी जांच अधीक्षक अभियंता भेजकर करवा लेंगे ।

श्री रत्नेश सादा : महोदय हम इसकी जांच कराना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2009(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । जिलाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 905 दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुखिया ग्राम पंचायत राज, हसनपुर के विरूद्ध सिंहवलिया थाना कांड संख्या-132/19 दिनांक 03.07. 2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । साथ ही बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) के तहत मुखिया को पदच्यूत करने का प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौली के पत्रांक 854 दिनांक 04.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिस पर नियमानुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है ।

क्रमश :

टर्न-5/अंजनी/24.07.2019

श्री कपिल देव कामत, मंत्री : क्रमशः ... उप विकास आयुक्त, गोपालगंज द्वारा विषयांकित प्रकरण की जांच की गयी है, उक्त जांच में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौली, पंचायत सचिव, हसनपुर, अभियंता के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है।

3-जांच प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्प्णी अंकित नहीं है, इस संबंध में सिंघवालिया थाना कांड संख्या-132/19 दिनांक 03.07.2019 दर्ज है एवं अनुसंधान के अंतर्गत है । अनुसंधान के क्रम में यदि किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मी संलिप्त अथवा दोषी पाया जाता है तो संबंधितियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खंड-क को स्वीकारात्मक कहा है। अध्यक्ष महोदय, 11 जून को यह मामला बिहार-झारखंड के एक प्रमुख टेलीविजन चैनल पर मामला वायरल हुआ था और 13 जुलाई को एफ0आई0आर0 किया गया है। महोदय, यह जो विडियो वायरल हुआ है, उसमें उक्त मुखिया द्वारा सीधे-सीधे कहा गया है कि हर एम0बी0 बुक कराने पर 25 हजार रूपया हम बी0डी0ओ0 को देते हैं और बी0डी0ओ0 द्वारा लिया जाता है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की सात निश्चय योजना बिहार के लिए बहुत आवश्यक योजना है.....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मेरा पूरक यह है कि अगर विडियो के आधार पर ही, जो टेलीविजन पर विडियो वायरल हुआ, उसके आधार पर अगर मुखिया पर कार्रवाई हुई तो मुखिया के साथ-साथ मुखिया का जो बयान आ रहा है, बी0डी0ओ0 को पैसा देने की बात आ रही है तो उक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलम्ब वहां से हटाया जाय और उनके विरूद्ध भी जांच करायी जाय । माननीय मंत्री जी, सदन में इसकी घोषणा करें नहीं तो जो बी0डी0ओ0....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, तो क्या माननीय मंत्री जी उक्त बी0डी0ओ0 जिसके बारे में मुखिया ने स्वयं टेलीविजन चैनल पर कहा है कि हम 25 हजार रूपया उनको हर एम0बी0 बुक में देते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से सदन को बतायेंगे कि उस बी0डी0ओ0 पर क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री कपिल देव कामत, मंत्री : मुखिया पर 132/19 दर्ज की गयी है, मुखिया के विरूद्ध पंचायती राज पदाधिकारी ने 18(5) के तहत कार्रवाई किया है लेकिन किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया है, अगर दोषी पाये जायेंगे तो निश्चित रूप से पदाधिकारी के उपर भी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मुखिया ने कहा है तो इसपर जांच करा लीजिए।

श्री कपिल देव कामत, मंत्री : महोदय, जांच कराना पड़ेगा तो जांच करा लिया जायेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जांच के पूर्व उस प्रखंड विकास पदाधिकारी को तो वहां से अविलम्ब हटाया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक आदमी बोलिएगा तब न । सब आदमी बोलिएगा तो किसी की नहीं सुनी जायेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही चाहता हूँ कि उस पद पर रहते हुए कोई जांच संभव नहीं है, वह जांच प्रभावित कर सकता है, इसलिए उक्त बी0डी0ओ0 को वहां से अविलम्ब हटाया जाय और उसके बाद उस मामले की जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मामला गंभीर है, आप कलेक्टर से इसकी जांच करा दीजिए, सब चीज को देख लेगा ।

श्री कपिल देव कामत, मंत्री : जी अच्छा ।

तारांकित प्रश्न सं0-2010(श्री शमीम अहमद)

अध्यक्ष : शमीम जी, आप उत्तर देखे हैं ?

श्री शमीम अहमद : नहीं देखे हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि त्रिवेणी शाखा नहर के दायें तटबंध के 403.10 आर0डी0 से माधोपुर उप शाखा नहर निकलती है । जो प्रश्नगत पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत रोहनिया पंचायत से गुजरती है । माधोपुर उप शाखा नहर के 88.00 आर.डी. तथा 94.50 आर0डी0 पर एकपक्षीय सेतु निर्मित है, जिनके दोनों तरफ गांव से नहर तक आनेवाली कच्ची सड़क मिलती है । यह कच्ची सड़क ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । उक्त उप शाखा नहर के दोनों तरफ बांध सेवा पथ तथा सप्लायल बैंक कच्चा है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि माधोपुर उप शाखा नहर के 94.50 पर एकपथीय सेतु अवस्थित है, जिससे आवागमन चालू है । एकपथीय सेतु आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मती कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित है तथा इस कार्य को इस वित्तीय वर्ष में सम्पन्न करा लिया जायेगा ।

3. कंडिका-2 के उत्तर प्रतिवेदन में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

तारांकित प्रश्न सं0-2011(श्री ललन पासवान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, तारांकित प्रश्न दो पथों से संबंधित है, जो इस प्रकार है-

रोहतास जिलान्तर्गत कुदरा-चेनारी एस0एच0 पथ के मलहर से नारायणपुर होते हुए शिवसागर-चेनारी एस0एच0 पथ तक, दूसरा रोहतास जिलान्तर्गत

चेनारी प्रखंड से बसनारा से सदोखर-तुर्की होते हुए चेनारी-शिवसागर एस0एच0 पथ तक, उक्त दोनों पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है । क्रमांक-1 में वर्णित पथ वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क सम्पर्क आर0सी0पी0ए0डब्लू0ई0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत है । इस पथ की कुल लम्बाई 9.05 किलोमीटर है, जिसका प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है ।

क्रमांक-2 में वर्णित पथ की लम्बाई 14.30 किलोमीटर है । शिवसागर-चेनारी पथ से सदोखर तक कुल लम्बाई 7.50 किलोमीटर आर0सी0पी0ए0डब्लू0ई0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत है । इसका प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है, शेष 6.80 किलोमीटर पथांश ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन है । इस अतिरिक्त लम्बाई की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2012(श्री प्रह्लाद यादव)</u>

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

मेधु बांध वित्तीय वर्ष 2012-13 में कार्य प्रारंभ कराया गया था, जो वर्ष 2016 में पूर्ण हो गया है । यह योजना अभी अच्छी स्थिति में है तथा इससे किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है ।

2- लढिया आहर की स्थिति जर्जर है, इसका सर्वेक्षण कराया जायेगा और सर्वेक्षणोपरांत योजना का डी0पी0आर0 तैयार कर निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका जीर्णोद्धार करा दिया जायेगा ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह जवाब बिल्कुल असंतुष्ट है । वर्ष 2012 में बनाते हैं और 2016 में कहते हैं कि कार्य समाप्त हुआ तो क्या वह एग्रीमेंट हुआ था चार साल के लिए, वह चार साल में बनेगा, गलत रिपोर्ट दिया गया है । जहां तक लढिया की बात है, दोनों की स्थिति बड़ा ही जर्जर है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, वहां पर बोरिंग भी नहीं होता है, पहाड़ी क्षेत्र है और एकमात्र वही आहर/नहर है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसी वित्तीय वर्ष में दोनों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखते हैं?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री : महोदय, जो मेधु बांध है, इसमें पानी आया हुआ है, मैंने फोटो मंगवाया है और दूसरे के बारे में मैंने जवाब दिया कि इसकी मरम्मती करा दी जायेगी, फिर भी माननीय सदस्य की भावना का कद्र करते हुए मैं उसका भी सर्वेक्षण करा लूंगा यदि जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी मरम्मती करा दूंगा ।

अध्यक्ष : प्रह्लाद जी, अब आप संतुष्ट हो जाइए ।

तारांकित प्रश्न सं0-2013(श्री सुनील कुमार)

श्री श्रवण कुमार , मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जो जीर्णशीर्ण हो चुके हैं, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिए कृतसंकल्पित है । अब तक 77 प्रखंडों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है । इसी क्रम में 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्राद्योगिकी केन्द्र का भी निर्माण कराया जा रहा है ।

.... क्रमशः .....

टर्न-6/राजेश/24.7.19

श्री श्रवण कुमार, मंत्री, क्रमशः शेष प्रखंडों को चरणबद्ध तरीके से प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर का विकास करने की सरकार की योजना है, प्राथमिकता के आधार पर सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड को अगले चरण में शामिल किया जायेगा ।

श्री सुनील कुमारः अध्यक्ष महोदय, डुमरा प्रखंड जो है वह सीतामढ़ी जिला का हेडक्वार्टर है और बहुत बड़ा प्रखंड है और अंचल कार्यालय पहले चलता था सीतामढ़ी में, अब उसको भी डुमरा प्रखंड कार्यालय में लाया गया है, तो जगह की बहुत ही कमी है, जगह का अभाव है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर, तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति होगी क्या ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब अगले चरण का काम शुरु करेंगे, तो डुमरा को प्राथमिकता सूची में डालेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2014 (श्री सुरेन्द्र कुमार)

अध्यक्षः उत्तर तो दिया हुआ है, शायद आपने नहीं देखा, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई एवं कटरा प्रखंडन्तर्गत बागमती बाढ़ प्रबंध योजना फेज-टू के तहत बागमती नदी के बॉये एवं दॉये कुल 70.63 किलोमीटर

तक तटबंध का नवनिर्माण कार्य प्रगति में है, अभी कुल 35 किलोमीटर में रुपांकित सेक्शन में तटबंध का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं 16.39 किलोमीटर में तटबंध रुपांकित सेक्शन में अभी पूर्ण नहीं हुआ है तथा 19.24 किलोमीटर अवशेष कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है एवं शीघ्र ही निविदा आमंत्रण करने की कार्रवाई की जायगी ।

खण्ड 2: दोनों तटबंध का पश्चिमी छोर एन0एच0-77 को जोड़ता है तथा पूर्वी छोर अभी निर्मित नहीं होने के कारण एन0एच0-57 से अभी इसका जुड़ाव नहीं हुआ है, अभी तटबंध निर्माणाधीन है एवं निर्माणोपरान्त यह तटबंध आवागमन में सहायक सिद्ध होगा । निर्मित तटबंध की स्थिति ठीक है । उक्त दोनों तटबंध का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं तटबंध के टॉप पर ब्रीक सोलिंग का प्रावधान है । वर्तमान में उक्त तटबंधों पर कालीकरण का प्रस्ताव नहीं है।

श्री सुरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वस्त होना चाहता हूँ कि जो भी उत्तर इन्होंने दिया है, वह संतोषपूर्ण उत्तर दिये हैं लेकिन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी के आवागमन का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए भविष्य में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि उसका कालीकरण करवाने का कार्य करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 2015 (डा0 अशोक कुमार)</u>

अध्यक्ष: डा0 अशोक कुमार जी के प्रश्न को पूछने के लिए माननीय सदस्य आबिदुर रहमान प्राधिकृत है ।

श्री आबिदुर रहमान: महोदय, पूछता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल की निविदा दिनांक 07.01.19 को आमंत्रित की गयी थी, जिसमें एक भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी है, जिसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि 26.07.19 है । तदुपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री आबिदुर रहमान: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब पिछले साल भी यही मिला था ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2016, श्री अशोक कुमार सिंह ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य अशोक जी, आपका उत्तर दिया हुआ है, इसलिए आप पूरक पूछिये।

श्री अशोक कुमार सिंहः महोदय, जो उत्तर दिया हुआ है, वह संतोषजनक नहीं है और माननीय मंत्री जी के विभाग के इंजीनियर सेटेलाईट से बसावट का फोटो लेकर गुगल पर देखते हैं लेकिन हमलोग जमीन पर रहते हैं, तो इनका जो उत्तर है वह बिल्कुल विपरीत है लेकिन हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि उत्तर तो बिल्कुल विपरीत है, बसावट तो इसी में सारा चीज निहित है, अपकी गॉव है, तो बसावट है, तो हम आग्रह करेंगे कि यहॉ पुल बनें और यह नक्सल बेल्ट है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए अपकी गॉव में धाबा नदी पर पुल अतिमहत्वपूर्ण है बनाना, इसलिए हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि इसको बनवा दें ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आग्रह कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2017, श्री सदानन्द सिंह ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित पुल का निर्माण हो चुका है । पुल के दोनों तरफ भूमि अधिग्रहण कर पहुंच पथ का निर्माण कराया जाना था, जिसमें झारखंड के तरफ से पहुंच पथ का निर्माण झारखंड सरकार द्वारा कराया जा चुका है । भागलपुर के तरफ भूमि अधिग्रहण हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा मांगी गयी राशि वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, भागलपुर द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है । भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति में है, कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

श्री सदानन्द सिंहः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ लेकिन ..... (व्यवधान)

अध्यक्षः आप धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन लगाकर ।

श्री सदानन्द सिंहः महोदय, आप मेरी बात को तो सुन लीजिये । महोदय, झारखंड राज्य की ओर से तीन वर्ष पहले ही एप्रोच पथ बन गया और यहॉ तीन वर्ष से अभी तक नहीं बना है, ये दिसम्बर, 2019 तक बनवा दें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2018, श्री सत्यनारायण सिंह ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, जिस पथ की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसकी योजना की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा ।

श्री सत्यनारायण सिंहः धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 2019, श्री सदानन्द सिंह ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य सदानन्द बाबू, उत्तर दिया हुआ है । आप पूरक पूछिये ।

श्री सदानन्द सिंहः मैंने उत्तर को देख लिया हूँ । मुझे एक ही पूरक पूछना है कि गुणवत्तापूर्ण पथ बने, इसके लिए स्थायी तौर पर निगरानी की व्यवस्था की गयी है, यदि की गयी है, तो सतत् वह कार्यरत रहे, इतना ही आग्रह करना चाहते है ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, केवल आग्रह करना है कि जवाब भी देना है ।

अध्यक्षः वे गुणवत्ता के अनुश्रवण पर ध्यान आकृष्ट करा रहे है ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, पूरी योजना है इसके लिए । महोदय, गुणवत्तापूर्ण कार्य के पर्यवेक्षण निदेशक परियोजना में पर्यवेक्षण परामर्शी को नियुक्त किया गया है, जिसमें मैटेरियल एक्सपर्ट्स, लैब टेक्निसियन भी शामिल है । पथ के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों का सबसे पहले श्रोत अनुमोदित किया जाता है, श्रोत अनुमोदन सामग्री की गुणवत्ता जांच के बाद दिया जाता है, श्रोत के अनुमोदन के उपरान्त जब मैटेरियल स्थल पर आता है, तो उसका सैंपुल जांच किया जाता है और जांच में मानक के अनुसार पाये जाने पर ही परियोजना कार्य में मैटेरियल का प्रयोग किया जाता है, परियोजना कार्य में उपयोग किये जाने वाले मैटेरियल का थर्ड पार्टी टेस्ट भी किया जाता है.....(व्यवधान)

अध्यक्षः अब आप समझ गये सदानन्द बाबू कि मंत्री जी पूरा पढ़े ।

श्री सदानन्द सिंहः समझ तो गये हैं, केवल आखिरी जो कहा, गुणवत्तापूर्ण बने, उसपर ध्यान देंगे ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य की भावना को मैं समझता हूँ और जब यह प्रश्न मेरे सामने आया, तो उस समय ही बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सी0जी0एम0 को विशेष निदेश दिया है कि इस पथ के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें ।

अध्यक्षः इन्होंने विशेष निदेश दिया है । अब पूछिये अवधेश कुमार सिंह जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः महोदय, हमने आपसे, इस प्रश्न से मतलब नहीं है, ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहते है ।

अध्यक्षः प्रश्न से मतलब नहीं है ?

श्री अवधेश कुमार सिंहः यह क्वेश्चन का हमारे माननीय नेता से मतलब नहीं है.....(व्यवधान)

अध्यक्षः जब मतलब नहीं है, तो क्यों पूछ रहे है ?

श्री अवधेश कुमार सिंहः महोदय, इसलिए पूछ रहे हैं, आपको लिखकर भी भेजे है ।

अध्यक्षः ठीक है, आप लिखकर दे दीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः लिखकर दिया है हुजूर । वैसे हमें एक पूछना है, आप अनुमति दे न, आप इतना नाराज होईयेगा तो कैसे होगा । हमारा क्वेशचन का नम्बर देखे-2119, आप देख लें एक बार इसे, उसके बाद हम आपको बोलते हैं । उस क्वेशचन में हमारा क्वेशचन नम्बर है-2019 .....(व्यवधान)

अध्यक्षः आप तो कुछ और बोल रहे थे ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः महोदय, यही हम आपको बता रहे थे, हमारे नेता सदानन्द बाबू हैं, सी0एल0पी00 के लीडर भी है, तो हमारा क्वेशचन का नम्बर है-2019.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप लिखकर दे दीजियेगा, हम देख लेंगे । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे जी कुछ पूछना है,तो पूछिये । माननीय सदस्य अवधेश बाबू आप बैठ जाइये, आप दे दीजियेगा, हम देख लेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः देखना नहीं है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्षः तब नहीं देखेंगे । चलिये माननीय सदस्य श्री दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबेः महोदय, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग विस्तार से जो उत्तर दिये प्रॉसेस और प्रक्रिया का, तो किसी भी पुल के निर्माण में इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हो रहा है और जिस प्रक्रिया की चर्चा माननीय मंत्री ने किया सदन में, वह केवल फाइल में ही रहता है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, सब जगह अनुपालन हो, इसको दिखवा लीजियेगा ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, यह बिल्कुल गलत आरोप है, पूरी गुणवत्ता के साथ बनाया जाता है, अगर कोई गड़बड़ी करेगा, तो उसको छोड़ेंगे नहीं, वह दंड का भागी होगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्याः 2020, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ।</u>

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दोनों पथों की मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है । स्वीकृति उपरान्त मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/ 24-7-19

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंहः अध्यक्ष जी, डी0पी0आर0 जब तैयार हो गया तो हम चाहेंगे कि 2019-20 में इस सड़क का स्वीकृति दे दें ।

अध्यक्षः हो जायेगा न ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः हां ।

अध्यक्षः अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । अब बोलिये आप क्या बोल रहे थे ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, सदन में अध्यक्ष कस्टोडियन होते हैं...

अध्यक्षः क्या ?

श्री अवधेश कुमार सिंहः सदन के आप कस्टोडियन है, मालिक हैं अध्यक्ष महोदय और उस मालिक के सामने हम आपके कार्यकर्त्ता विधायक है, मेरी बात सुन लीजिये ।

अध्यक्षः आप एक स्वतंत्र अपने अधिकार से सदस्य हैं, आप मेरे कार्यकर्त्ता नहीं हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमने एक प्वायंट आउट किया था..

अध्यक्षः आप बतलाईए न, वही पूछ रहे हैं । हम पूछ रहे हैं ,आप बतलाईए स्थिर से ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः मेरा क्वेश्चन नं0-2019 था जो आपके प्रिंट में है..

अध्यक्षः 2119.

श्री अवधेश कुमार सिंहः 2019 और वह चला आया है 2119 पर, नम्बर एक...

अध्यक्षः 2019 तो सदानन्द बाबू का है ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः यहां देख लीजिये, आप ही का दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय, 2119 देखा जाय, यहां आपके प्रिंट में क्या है ?

अध्यक्षः आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अवधेश कुमार सिंहः आपको एक चीज के लिए बधाई देते हैं कि आपने जो उत्तर का जो व्यवस्था कराया है अध्यक्ष महोदय वह काफी प्रशंसनीय है । आपको हम उसके लिए बधाई देते हैं मगर माननीय मंत्री जी जो सदन में जो बयान देते हैं, उसके बारे में भी आपके चैम्बर में हम दिखा चुके हैं और आज भी..

अध्यक्षः हम आपके इस प्रश्न को अलग से दिखवा लेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः हम वहीं वोल रहे हैं, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये हमारे दो उत्तर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है और यह दोनों उत्तर चुनौती का है । आप अपने माध्यम से...

अध्यक्षः आपको भी बुलवाकर हम उत्तर देख लेंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः जी, थैंक यू ।

अध्यक्षः प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उसे सदन पटल पर रख दिये जायें।

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई ,2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। (1) श्री सत्यदेव राम एवं श्री सुदामा प्रसाद श्री (2)श्री प्रह्लाद यादव, श्री मो0 नेमतुल्लाह एवं श्री मो0 नवाज आलम (3)श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री सुधीर कुमार एवं सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान आज सदन में अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर मतदान एवं राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आमान्य किया जाता है ।

अध्यक्षः अब शून्य काल ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप ही लोगों का शून्यकाल है । क्या कह रहे हैं सत्येदव जी, बोलिये न क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सत्येदव रामः आप पढ़ने की अनुमति दे दीजिये ।

अध्यक्षः आप बोलिये न, पढ़ने की अनुमति नहीं है, आप बोलिये ।

श्री सत्येदव रामः बिहार में लगातार गैंग रेप हो रहा है..

अध्यक्षः अभी गृह विभाग की मांग पर बहस हुई है न, इसको उस दिन न रखते ।

श्री सत्यदेव रामः उसके बाद की घटना है महोदय..

श्री प्रह्लाद यादवः महोदय, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार लोन देने का प्रावधान किया है। हाल में एक विश्वविद्यालय....

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठः महोदय, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सबसे ज्यादा बीमारू है और बिहार सबसे ज्यादा बिमारू होने के साथ-साथ सबसे ज्यादा टैक्स बिहार में ही लिया जाता है । दिल्ली से दोगुना टैक्स लिया जाता है महोदय, तो आखिर यह कैसा बिहार है । बिहार चूसने वाला राज्य हो गया है महोदय इसलिए हम चाह रहे थे कि सारे चीजों को रोककर के इस पर डिस्कसन कराया जाय कि आखिर क्यों सरकार ....

(व्यवधान)

(इस बीच माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम एवं श्री सुदामा प्रसाद सदन के वेल में आकर बैठ गये।)

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब शून्यकाल । श्री विनोद प्रसाद यादव ।

शून्यकाल

अध्यक्षः आपका भी शून्यकाल है, जगह पर जाईयेगा तब न बोलियेगा।

श्री विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, गया जिला के डोभी थानान्तर्गत प्रमोद कुमार, पिता सुरेश मंडल, ग्राम मुंगेश्वरपुर, पो0 डोभी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में जी0टी0रोड पथलकट्टी के पास दिनांक 13-5-19 को हो गयी थी । शेरघाटी कांड संख्या-220/19 दर्ज है । मृतक के आश्रितों को अविलम्ब मुआवजा भुगतान करने की मांग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-224): अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में बरसाती नदियों यथा मदाड नदी, केसहर नदी, धावा नदी एवं झरही नदी से बालू उत्खनन का निविदा किया जाता है जिससे लोगों को पेयजल संकट की समस्या बढ़ गयी ह ै। जनहित में उक्त वर्णित नदियों से बालू उत्खनन पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ हुए हैं । सरकार संज्ञान तो ले ।

अध्यक्षः ठीक है सरकार संज्ञान लेगी । माननीय सदस्य, अब आप अपने अपने जगह पर चलिये ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम एवं सुदामा प्रसाद अपनी अपनी सीट पर चले गये ।)

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0- 203) अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अन्तर्गत ग्राम भारती महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या 5 हजार है, महाविद्यालय में स्नातक तक पढ़ाई होती है, स्तातकोत्तर पढ़ाई के लिए छात्र एवं छात्राओं को उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है । अतः मैं सरकार से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत नरकटियागंज से भिखनाठोरी जाने वाली पी0डब्लू0डी0 पथ में थाना सुभद्रा के पास पथ में ध्वस्त पुलिया के स्थान पर नया पुलिया बनाने की मांग करती हूॅ ।

श्री मो0 नवाज आलम:अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा के पूर्वी रेलवे गुमटी से धोबी घटवा तक एन0एच0 30 रोड पर पांच से छ:फीट के गड्ढ़े में तब्दील हो गया है । प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है । मैं सदन के माध्यम से शीघ्र रोड मरम्मति की मांग करता हूॅ ।

श्री संजय कुमार तिवारी: महोदय, बक्सर जिला में कार्यरत 191 मानव चिकित्सकों में से 54 चिकित्सक ही अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं । आधे से ज्यादा चिकित्सक छुट्टी पर रहते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं । अत: सभी पुराने चिकित्सकों की फेर बदल करते हुए बाकी चिकित्सकों की रिक्तियों को भरने की मांग करता हूॅ ।

श्री नन्द कुमार राय: महोदय, विपीन कुमार पटेल कक्षपाल बेउर जेल, पटना में पदस्थापित हैं जिनकी नियुक्ति 165.4 से0मी0 ऊंचाई अहर्त्ता पर हुआ था जबकि पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति में उक्त व्यक्ति की ऊंचाई क्षमता 164.4 से0मी0 मापा गया है । मैं इसकी जांच कराकर आरक्षी अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग करता हूॅ ।

श्री ललन पासवान: महोदय, रोहतास एवं कैमूर जिलान्तर्गत 9400 वर्ग कि0मी0 में अवस्थित कैमूर पहाड़ी पर वन दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा सखुआ, सगवान, रूद्राक्ष, खैर महुआ, सीसम, पीआर, चीड़, ऑवला, आम, अमरूद, जामून, कटहल पेड़ लगाना अनिवार्य है । उक्त फलदार सहित अन्य वृक्षों को लगवाने की मांग करता हूॅ ।

श्री फैसल रहमान: महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका विधान-सभा के गुआवारी मेल कैनाल एवं जी0पी0सी0 कैनाल से निकलने वाली सारी नहरों में गाद जमा हुआ है जिससे किसानों को पटवन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अत: नहरों के जमे गाद की साफ सफाई कराने हेतु मांग करता हूॅ ।

श्री सुबोध राय: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज नगरपरिषद में कृष्णानन्द उच्च विद्यालय के पीछे कस्तुरबा बालिका छात्रावास में बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु वहां गेट सहित चाहरदिवारी निर्माण तथा प्रांगण को जलजमाव से मुक्त करने हेतु कारगर उपाय की मांग करता हूॅ ।

श्री प्रह्लाद यादव: महोदय, लखीसराय जिला के पिपरिया प्रखंड के महादलित टोला, सूरजीचक गांव में दिनांक 13-5-14 को आग लगने से 78 घर जल गया एवं एक ही परिवार के चार लोग जलने से मर गये। उप विकास आयुक्त, लखीसराय के

पत्रांक 752 दिनांक 27-7-15 द्वारा इन्दिरा आवास स्वीकृत हो गयी परन्तु आज तक घर नहीं बना। अतः स्वीकृत 78 परिवारों को इन्दिरा आवास दिया जाय ।

टर्न-8/मधुप/24.07.2019

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, शिक्षा विभाग के पत्रांक 1560 दिनांक-16.07.19 द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर रोक दिया गया है । शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों में हाहाकार है । विद्यार्थियों को पठन-पाठन की चिंता सता रही है ।

अतः निर्बाध पढ़ाई हेतु सरकार अविलम्ब कारगर उपाय करे ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, गया या पटना में मबही पान मंडी नहीं होने के कारण यहॉ के पान कृषकों को पान बनारस ले जाकर इसका क्रय-विक्रय करना पड़ता है, जिससे पान कृषकों को काफी असुविधा होती है ।

मैं शीघ्र बनारस की तर्ज पर गया या पटना में पान मंडी स्थापना करने की मॉग करता हूँ ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बंजरिया प्रखंड, बनकटवा प्रखंड एवं छौड़ादानों प्रखंड में वर्तमान में आई भीषण बाढ़ से माल-जाल एवं फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है ।

सरकार बाढ़ग्रस्त घोषित करे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, राज्य में BO-150 गन्ना को निम्न प्रभेद गन्ना की श्रेणी में रखकर सिधवलिया चीनी मिल द्वारा इसकी मापी तथा तौल की जा रही है जबकि सर्वाधिक BO-150 की उपज होती है तथा चीनी की रिकभरी भी अधिक है । इसे उन्नत या मध्यम प्रभेद का दर्जा दिया जाय ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है....

अध्यक्ष : आप जो लिखकर दिये हैं, वह पढ़िये । हर मामला गम्भीर है ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, सीमांचल कोसी में सक्रिय मानव तस्कर द्वारा बाढ़ से विस्थापित परिवार का तीन साल में 128 लड़कियों की तस्करी कर बंगलादेश, पाकिस्तान, सउदी अरब भेजा गया है जिसका प्रशासन के पास कोई पता नहीं है।

मैं सरकार से इसपर रोक लगाने की माँग करता हूँ ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के विषहरिया पंचायत वार्ड नं0-10 में मस्जिद से इस्लामपुर तक बारिश मौसम में पानी जमने से आवागमन में कठिनाई होती है। जल-जमाव के स्थायी समाधान हेतु मस्जिद से इस्लामपुर होते हुए विषहरिया गोट धार तक नाला निर्माण कराने के लिए माँग करता हूँ ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी : महोदय, जमुई जिलान्तर्गत चन्द्रदीप थाना के कांड संख्या-41/17 में महताब आलम को फर्जी मुकदमा में फंसाया गया है । वरीय पदाधिकारियों द्वारा सुपरभिजन में दोषमुक्त कर दिया गया था पर पद का दुरूपयोग और लाभ लेकर एस0पी0 के क्राईम रीडर मुरारी प्रसाद निर्दोष लोगों को परेशान करा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत परशुरामपुर एस0एच0 रोड से संग्रामपुर जाने वाली सी0आर0एफ0 से नवनिर्मित पथ में हरपुर पंचायत के रानी छपरा ग्राम में पुराना लोहिया पुल जर्जर हो गया है । कभी भी घटना हो सकती है ।

अतः सरकार जनहित में अविलम्ब पुल बनावे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तेतरिया, फेनहारा, मधुबन, पकड़ीदयाल प्रखंड बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है । इन प्रखंडों में जान-माल एवं फसलों की भारी क्षति हुई है ।

अतः सरकार से मांग करते हैं कि उक्त सभी प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाय ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत माँझा प्रखंड में ग्राम प्रतापपुर में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए 5 कि0मी0 दूर गोपालगंज जाना पड़ता है, जबकि मध्य विद्यालय, प्रतापपुर के प्रांगण में उच्च विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध है । अतः प्रतापपुर ग्रामीण में शीघ्र उच्च विद्यालय खोलें ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिलानतर्गत कोचस राजवाहा के अदई पुल से मौजा चन्द्रभान पट्टी एवं सावनबहार के सिंचाई हेतु दो आउटलेट है । करहा एक ही हो जाने के कारण सिंचाई करने में किसानों में झड़प एवं कभी-कभी गोलीबारी भी चल जाता है ।

अतः मॉग करता हूँ कि दोनों करहा को अलग-अलग किया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शत्रुध्न तिवारी - अनुपस्थित ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पताही प्रखंड अन्तर्गत पदुमकेर के रौशनी कुमारी, पिता-संजय सिंह एवं कृष्ण कुमार, पिता-ललन सिंह की पिछले वर्ष 2017 में बाढ़ आने से तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई, दोनों गरीब परिवार के हैं, आपदा राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मॉग करता हूँ ।

श्री शत्रुध्न तिवारी : महोदय, मैं आ गया हूँ ।

अध्यक्ष : आ तो गये हैं लेकिन उस समय गये कहॉ थे ? अभी बैठिये, अब अंत में ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, सुपौल थाना कांड सं0 149/19 के सूचक ने चन्द्र शर्मा को पकड़ गम्भीर रूप से मारपीट कर थाना के माध्यम से मंडल कारा सुपौल भेजवाया जहॉ दिनांक- 19.06.2019 को इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई । जॉच करवाकर दोषी को सजा, आश्रितों को मुआवजा वो सुरक्षा की मॉग करता हूँ ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा से होकर गुजरने वाली पहाड़ी परमान नदी के दोनों छोर में बने जमींदारी बॉध को वर्ष 2017 में आयी प्रलयंकारी बाढ़ से पीपरा पंचायत के पीपरा घाट, कुसमाहा पंचायत के औसरी घाट, रमैय पंचायत के नावघाट एवं सहवाजपुर पंचायत के गौडराहा गॉव के पास तोड़ डाली है ।

वर्णित जगहों पर टूटे बॉध की मरम्मती की मॉग करता हूँ ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत मोदनगंज प्रखंडान्तर्गत पंचायत मोदनगंज के मुखिया महेश प्रसाद को कनीय अभियंता लघु सिंचाई

जहानाबाद के साथ पंचायत स्थित नलकूप का प्रभार लेने के क्रम में मधेश्वर शर्मा गोविन्दपुर द्वारा मारपीट किया और रंगदारी का केस दर्ज कराया । सरकार मुखिया को प्रभार दिलाए एवं अपराधी पर कार्रवाई करे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत शिशवा पटना धोबिया टोला से राधवा नदी होते हुए केसरिया बौद्ध स्तूप को जोड़ने वाली 7 कि0मी0 सड़क का पक्कीकरण तथा रधवा नदी पर पुल का निर्माण कराकर आवागमन को सुगम बनाने हेतु सरकार से मॉग करता हूँ ।

श्री रामचन्द्र सहनी : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के रामगढ़वा थाना अन्तर्गत पचभीड़िया गॉव के अशोक यादव की हत्या दिनांक- 19.05.2019 को घर जाने के क्रम में रास्ते में ही कर दी गयी । रामगढ़वा थाना में कांड सं0- 87/19 दर्ज है ।

मैं उक्त कांड के अभियुक्तों की अविलम्ब गिरफ्तारी की मॉग करता हूँ।

श्री मुजाहिद आलम : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंडान्तर्गत बगलबाड़ी हाट टोला में महानन्दा नदी से कटाव, मजकूरी पश्चिमी टोला में कनकई से कटाव एवं किशनगंज प्रखंड के बलियाड़ांगा, मंझोक और पोरलाबाड़ी में महानन्दा नदी से भीषण कटाव जारी है । सरकार इसपर रोक लगावें ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, वैशाली जिला में चमकी बुखार से 18 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई है । हाजीपुर सदर अस्पताल में बच्चों की तत्काल इलाज की व्यवस्था नहीं है । बच्चों सही समय पर इलाज नहीं होने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसलिए 200 बेड वाला आई0सी0यू0 खोला जाय ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सीवान जिलान्तर्गत दरौली (सु.) विधान सभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जिसके कारण दरौली, गुठनी व आंदर प्रखंडों के छात्र-छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । बच्चों को यू0पी0 के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई करनी पड़ती है । दरौली में अविलम्ब डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : महोदय, कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखण्ड के थाना कोढ़ा ग्राम बड़गॉव में मॉ भगवती न्यास समिति में फर्जी तरीके से फर्जी पता डालकर मंदिर के जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है ।

मैं इसकी जॉच की मॉग करती हूँ ।

टर्न–9/आजाद/24.07.2019

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर के हसनपुर में एक महादलित महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसका वीडियो को वायरल किया जाना सभ्य समाज के गाल पर गहरा तमाचा है । महिला उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है । इस मामले में सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड में सोहदा से रस्तीपुर रोड में पुनपुन नदी पार करने में डूबकर मरने की घटनाएं भी घट जाती है।

जनहित में पुनपुन नदी में सोहदा के पास पुल बनाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती अमिता भूषण : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग द्वारा कृषि साख सहयोग समिति के चुनाव मे चुनावी खर्च के रूप में प्रति 700 मतदाता पर 5000 रूपये की राशि पैक्स एवं अन्य छोटी–छोटी आर्थिक रूप से कमजोर समितियों से ली जा रही है ।

अतः इन समितियों से चुनावी खर्च नहीं लिये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड मं ग्राम–केशापुर में पी0डब्लू0डी0 विभाग से नाला का निर्माण 2016 से बनाया जा रहा है, परन्तु संवेदक अर्द्धनिर्मित नाला का निर्माण कर छोड़ दिया गया है । जिससे गांव में सालों भर पानी जमा रहता है । शीघ्र नाला का निर्माण करावें ।

श्री जीवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड के राढी– पश्चिमी पंचायत के राढी निवासी स्व0 टुनटुन यादव के पुत्र श्री नागेन्द्र यादव, 42 को दिनांक 16.07.2019 को सोये अवस्था में गोली मारी गयी जिनका ईलाज अभी भी पी0एम0सी0एच0, पटना में चल रहा है परन्तु हमलावर की पहचान नहीं हो पायी है।

अतः हमलावर की गिरफ्तारी करने की मांग करता हूँ ।

डॉ0 राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण के गोविन्दगंज कांड संख्या–370/18 में अनुसंधानकर्त्ता एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा हत्यारे पर चार्ज सीट करने के बजाए निर्दोष लोगों को फंसाया है ।

हम सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस पदाधिकारी एवं हत्यारे पर कार्रवाई करते हुए निर्दोष लोगों को दोषमुक्त किया जाए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के बीच स्थित बलान नदी सूखी है, जबकि बूढ़ी-गंडक नदी में भीषण बाढ़ । हमारी मांग है कि बछवाड़ा स्थित सुलिस गेट दिये जाए ताकि बलान का बड़ा क्षेत्र जो सुखा है को जल मिल जाय एवं बूढ़ी गंडक के जल स्तर में कमी आए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष : उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 4257 अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है लेकिन पंचम शिक्षक नियोजन के पश्चात् इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा ।

अतः सरकार कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियोजित शिक्षक के पद पर समायोजन करे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, एक सूचना है ....

अध्यक्ष : क्या सूचना है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के बिहटा प्रखंड में चार पंचायत है हुजूर-अमहरा, राघोपुर, श्रीरामपुर एवं बिहटा । इन पंचायतों को नगर पंचायत में लेने का प्रस्ताव आया है दो-तीन साल पहले ...

अध्यक्ष : ठीक है, बता दिये न ।

श्री भाई वीरेन्द्र : लेकिन वहां जो है इंदिरा आवास, वहां के पंचायत के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहा है । इसको सरकार देखवा ले ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

सर्वश्री भोला यादव, आलोक कुमार मेहता एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण <u>सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना श्री भोला यादव एवं अन्य से प्राप्त सूचना जो पढ़ी गई है, उसका उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सरकारी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक राज्य के अन्दर या बाहर के प्राइवेट महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक की अपेक्षा कम रहता है ।

प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की लंबी एवं जटिल प्रक्रिया (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) एवं इसके माध्यम से आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने में काफी समय लगने को ध्यान में रखते हुए राज्य हित में यह निर्णय लिया

गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सक, कृषि पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी तथा कतिपय अन्य तकनीकी पदों, जहां नियुक्ति हेतु अर्हता कोई प्रोफेशनल डिग्री है, पर नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं कर अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाय । इस निर्णय से नियुक्ति की प्रक्रिया कम समय में पूरी की जा सकेगी और राज्य सरकार के अन्तर्गत रिक्त तकनीकी पदों पर शीघ्र योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो पायेंगे जिससे राज्य की विकास योजनाओं पर त्वरित निष्पादन संभव हो पायेगा ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी, जिन बातों को कह रहे हैं, इसमें बिहार से बाहर के बच्चे ज्यादा सीट कब्जा कर ले रहे हैं यदि प्रतियोगिता परीक्षा होती तो निश्चित तौर से हमारे बच्चे उसमें ज्यादा पास करते और रही बात यह सरकारी स्कूल में कह रहे हैं कि मार्क्स अच्छा आता है, अधिक आता है, यह कहीं न कहीं विभाग के द्वारा इनको गलत डाटा दिया गया है । बिहार का जो सिलेबस है, उसमें बच्चों का मार्क्स कम उठता है और बिहार से बाहर का जो सिलेबस है, उसमें मार्क्स अधिक उठता है, जिसके कारण हमारे बच्चे मार्क्स में पिछड़ जाते हैं और अधिकांश नौकरियां इन्टरव्यू में मात्र 20 प्वायंट है और 80 प्वायंट एकेडेमिक है तो निश्चित तौर से बाहर के बच्चे ज्यादा ले जाते हैं नौकरी और उससे हमारे राज्य को घाटा हो रहा है .....

अध्यक्ष : सुझाव और पूरक ।

श्री भोला यादव : महोदय, मेरा सुझाव और पूरक एक ही है कि क्या राज्य हित में राज्य के अभ्यर्थियों के हित में माननीय मंत्री जी प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स हैं और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के जो टीचर्स हैं, उनको उन पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा लाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष : उसको उन्होंने बता दिया ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि मेडिकल में, पशु चिकित्सक में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही उसमें शामिल किया जाता है और प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद उसमें मेडिकल और पशु चिकित्सक बनकर निकलते हैं । इसीलिए सरकार ने सरलीकरण किया है कि माननीय सदस्यों की चिन्ता देखते हैं हाऊस में कई प्रश्न आते रहते हैं कि वहां डॉक्टर नहीं हैं, वहां पर पशु चिकित्सक नहीं हैं, इसलिए इसको ध्यान में दृष्टिगत किया है सरकार ने, जल्द से जल्द जो खाली जगह है, उसको भरा जाय और सरकार ने कोशिश किया है महोदय कि जल्द से जल्द उन

जगहों को भरा जाय और राज्य की जनता को इसका जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

श्री भोला यादव : महोदय, कल भी जो मेरा अल्पसूचित प्रश्न था लोकल रिजर्वेशन का, यह वही विषय पर आकर हमलोग अटक रहे हैं । हमारे सीटों को दूसरे राज्य के बच्चा ले जा रहे हैं । माननीय मंत्री जी केवल सब्जबाग दिखा रहे हैं, आखिर हमारा नौकरी दूसरा ले जायेगा, उसको बचाने का इनके पास क्या योजना है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिन्ता सिर्फ इतनी है कि जो तकनीकी सेवाओं में तकनीकी डिग्रियां हासिल करके लोग आवेदन देते हैं, उसमें बिहार से बाहर के जो प्राइवेट चाहे कोई टेकनिकल इन्स्टीच्यूशन हो, उससे जो आते हैं, वहां पर मार्किंग बहुत लिबरल की जाती है । हमारे यहां सरकारी कॉलेजेज है, जितने टेकनिकल कॉलेजेज हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल के, उसमें थोड़ा मार्किंग पैटर्न सख्त होता है । केवल मार्क्स बेसिस कर देने से वो इमबैलेंस जो आता है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं । अगर निजी संस्थानों के निजी मेडिकल कॉलेजेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज के स्टुडेंट जहां पर मार्क्स बहुत ही उदारता पूर्वक दिया जाता है तो हमारे बच्चे कहीं पिछड़ नहीं जायं मेरी समझ से यही आपकी चिन्ता है ।

श्री भोला यादव : जी, महोदय, यही मेरी चिन्ता है ।

अध्यक्ष : देखना चाहिए, देख लीजियेगा ।

श्री भोला यादव : महोदय, इसपर नये सिरे से जवाब मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया अपने उत्तर में इन चीजों को, इनकी चिन्ता है कि बाहर के लोग लेकर जाते हैं तो सरकार राज्य हित में राज्य के बच्चों के हित में जहां हमारा मानवसंसाधन का जो सूचकांक है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि यहां पर कितने गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 85 फिसदी या 90 फिसदी सिर्फ बिहार के लिए अहर्तायें फिक्स करेंगे, यह जानना चाहते हैं महोदय ?

अध्यक्ष : यह तो सरकार बता चुकी है ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, कहां बता पायी है ।

(व्यवधान)

श्री भोला यादव : महोदय, सरकार के तरफ से एक सकारात्मक जवाब तो दिलवा दीजिए ताकि आने वाले कल में वे लायेंगे या आसन से ऐसा कुछ निदेशित कर दें ।

अध्यक्ष : भोला बाबू, सरकार को सकारात्मक रूख रखने के लिए हमने तो आसन से बता दिया है तो उनसे हम क्या कहवा दें ।

टर्न–10/शंभु/24.07.19

अध्यक्ष : श्रीमती अनिता देवी एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना । श्रीमती अनिता देवी सूचना पढ़ें, नहीं हैं । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्रीमती अनिता देवी, श्री समीर कुमार महासेठ एवं अन्य सात सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, झारखण्ड बंटवारे के बाद मत्स्यपालन राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक बड़ा कारक है । मत्स्यपालन पूर्णतः मौसम पर आधारित होता है जहां एक तरफ सुखाड़ की स्थिति में तालाबों का पानी सूख जाने के कारण मछलियां मर जाती हैं वहीं बाढ़ आने पर मछलियां पानी के साथ बह जाती हैं । दोनों ही स्थितियां मत्स्यपालकों के लिए भयावह होती है । यह संकट प्रत्येक वर्ष मत्स्यपालकों के समक्ष उत्पन्न होता है और वे किसी न किसी आपदा चाहे वह सुखाड़ हो या बाढ़ प्रभावित होते हैं । आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तालाबों के सूख जाने से अथवा पानी भर जाने से मछलियों के नष्ट होने को प्राकृतिक आपदा में सूचीबद्ध नहीं किये जाने के कारण राहत राशि मत्स्यपालकों को नहीं मिलती है । इससे मत्स्यपालक वर्ग मत्स्यपालन के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं जिसके कारण मछलियों का अन्य राज्यों से आयात करना पड़ रहा है ।

अतः बाढ़ एवं सुखाड़ से मछलियां नष्ट होने को प्राकृतिक आपदा घोषित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, वर्ष 2015–20 तक के लिए दिनांक 01.04.15 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित सहाय्य मानदर के अनुरूप सहाय्य मुहैय्या कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1973, दिनांक 26.05.2015 द्वारा मानदर निर्गत है । यह मानदर भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), नई दिल्ली के पत्र सं0–32–7/2014–एन0डी0एम0–1 दिनांक–08.04.2015 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में निर्गत किया गया है । इसके अनुसार बाढ़ एवं सुखाड़ से मछलियों के नष्ट हो जाने पर मुआवजा देने का

प्रावधान आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-1973, दिनांक 26.05.2015 में नहीं है । किन्तु मछली पालकों को राहत पहुंचाने हेतु निम्न प्रावधान इसके अन्तर्गत किये गये हैं :-

1. मछली फार्मों को डिसिल्टिंग/पुनर्स्थापन/मरम्मति मद में 12200/-रू0 प्रति हे0 की सहायता प्रदान की जाती है ।

2. मछुआरों के लिए नाव, जाल आदि की मरम्मति/पुनर्स्थापन-क्षतिग्रस्त या खो जाने पर निम्न दर से सहाय्य अनुमान्य है :-

4100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए, 2100/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए, 9600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए, 2600/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए प्रदान किया जाता है ।

3. मछली जीरा फार्म के लिए इनपुट सबसिडी के रूप में 8200/- प्रति हे0 की दर से साहाय्य भुगतान करने का प्रावधान है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, सरकार फुटबॉल खेलने का प्रयास कर रही है सदन में हमारा जो आपसे- हां फुटबॉल खेल रही है- हम प्रश्न कुछ कर रहे हैं, ध्यानाकर्षण मेरा कुछ है और जवाब कुछ और दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : कहां जवाब कुछ और दे रहे हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जो मानदर की बात कर रहे हैं उसमें जो डूबता है, यह सीधा-सीधा मेरा प्रश्न है मत्स्यपालक के लिए- जो मत्स्यपालक का बाढ़ हो चाहे सुखाड़ हो, सुखाड़ होता है तो मर जाती है मछली और बाढ़ आता है तो दह जाती है उसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है ।

अध्यक्ष : आपने सुना नहीं, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है । आपने सुना नहीं और सुन लीजिए सरकार ने बताया है कि जैसे बाढ़ से या सुखाड़ से दूसरी फसलें प्रभावित होती है, किसानों की फसलें प्रभावित होती है तब उनको जो सहायता सुविधा दी जाती है वह मत्स्यपालकों को भी दी जा रही है जिसके लिए उन्होंने तीन तरह का बताया- एक पुनर्स्थापन योजना के बारे में बताया, दूसरा जो उसका नाव, जाल है उसके लिए बताया, तीसरा मछली के जीरा के लिए जो इनपुट सबसिडी दिया जाता है वह बताया, अब आपको क्या चाहिए ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो किसान होते हैं उसका आधार बनता है उस आधार के तहत मतलब छोटी मछली चाहे बड़ी मछली दोनों का सरकार रेट निर्धारित किये हुए है, अगर हमारे पोखरा का साइज प्रति एकड़ या जो भी है साइज अगर हम निर्धारित करते हैं कि इस मछली का रेट ये है । जैसे

किसान का प्रति हेक्टर के हिसाब से हम आपदा में देते हैं 10 हजार 6 सौ रूपया ठीक उसी प्रकार इनका भी रेट फिक्स किया जाय प्रति हेक्टर के हिसाब से.....

अध्यक्ष : उन्होंने तो रेट बताया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं महोदय, सीधा है कि बड़ी मछली छोटी मछली का मूल्यांकन करके उस अनुपात में उनका.....

अध्यक्ष : समीर जी, योजना जब चल रही है एक रूप में उसमें कोई आप मोडिफिकेशन चाहते हैं तो उसका सुझाव सरकार को दे दीजिएगा, सरकार विचार करेगी ।

सर्वश्री मिथिलेश तिवारी, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग/ नगर विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, राज्य में आवासीय सोसायटी बनाने हेतु पंजीकरण को लेकर बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में स्पष्ट तौर पर प्रावधान किया गया है कि सोसाइटी बनाने की स्थिति में को-ऑपरेटिव विभाग को आवासीय सोसाइटियों का निबंधन करना है लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है । जिसके कारण उक्त सोसाइटियों को बैंक खाता खोलने तथा पैन कार्ड निर्गत कराने में कठिनाई हो रही है। इस मद में आवासीय सोइटियों द्वारा करोड़ों की राशि फ्लैट धारकों से प्रतिमाह लिये जाते हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है तथा समितियों का चुनाव भी प्रभवित हो रहा है एवं आए दिन विधि-व्यवथा की स्थिति उत्पन्न होती है ।

अतएव अविलंब आवासित सोसाइटियों का निबंधन कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 की धारा-16 में अपार्टमेंट लेनेवाले व्यक्तियों के समूह को को-ऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में अपार्टमेंट मालिकों के समूह के द्वारा निबंधन हेतु निबंधक सहयोग समिति, सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार ऑफ कैंपस को आवेदन प्रस्तुत किया जाना है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक सं0-944, दिनांक-20.7.2019 के द्वारा निबंधन सहयोग समिति, सहकारिता विभाग, बिहार पटना के रजिस्ट्रार ऑफ कैंपस, पटना से अनुरोध किया गया है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आवश्यक है, बिहार में बड़ी संख्या में अपार्टमेंट बने हुए हैं और बड़ी संख्या में एक-एक फ्लैट धारक पैसा जमा करता है, लेकिन उसका बैंक एकाउंट नहीं खुल रहा है और ये सारी समस्याएं हैं ।

महोदय, सरकार ने प्रावधान जरूर किया है, लेकिन यह लागू नहीं हुआ है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसको चरणबद्ध तरीके से और समय-सीमा निर्धारित करके पूरी तरह से अनिवार्य किया जाय ताकि इसका रजिस्ट्रेशन हो सके ।

अध्यक्ष : इसको मंत्री जी देखवाइये ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : जी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मेरा भी इसमें एक पूरक है ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि अब तक इनके संज्ञान में कितनी सोसाइटी रजिस्टर्ड है ?

अध्यक्ष : यह सूचना अभी है ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय सदस्य को हम सूचना उपलब्ध करा देंगे और पत्र हमने लिखा है उसपर कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी जो रजिस्ट्रेशन नहीं करायेंगे ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना समाप्त हुआ । माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105(2) तथा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012 के नियम-5 के तहत बिहार विद्युत् विनियामक आयोग का वित्तीय वर्ष-2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/ज्योति/24-07-2019

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11, एवं 2015-16 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर मतदान ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण , अधिकाई व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगे मुखबंध यानी गिलोटीन के माध्यम से लिए जायेंगे । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1977-78 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-03 पर अंकित मांग संख्या -24 ''वन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 5,71,304/-(पाँच लाख इकहत्तर हजार तीन सौ चार) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1977-78 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-03 पर अंकित मांग संख्या -24 ''वन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 5,71,304/-(पाँच लाख इकहत्तर हजार तीन सौ चार) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1978-79 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-04 पर अंकित मांग संख्या -27 '' खानें और खनिजें'' के संबंध में वित्तीय वर्ष

1978-79 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 31,74,408/-(एकतीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ आठ) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय । ''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1978-79 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-04 पर अंकित मांग संख्या -27 '' खानें और खनिजें'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 31,74,408/-(एकतीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ आठ) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1984-85 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-05 पर अंकित मांग संख्या -03 '' मंत्रिपरिषद, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 2,62,20,373/-(दो करोड़ बासठ लाख बीस हजार तीन सौ तेहत्तर) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय । ''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1984-85 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-05 पर अंकित मांग संख्या-03 '' मंत्रिपरिषद, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 2,62,20,373/-(दो करोड़ बासठ लाख बीस हजार तीन सौ तेहत्तर) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1987-88 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-06 पर अंकित मांग संख्या -09 '' बिक्री-कर'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 60,77,967/-(साठ लाख सतहत्तर हजार नौ सौ सड़सठ) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1987-88 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-06 पर अंकित मांग संख्या -09 '' बिक्री-कर'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 60,77,967/-(साठ लाख सतहत्तर हजार नौ सौ सड़सठ) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1988-89 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-07 पर अंकित मांग संख्या-09 '' बिक्री-कर'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 46,56,934/-(छियालीस लाख छप्पन हजार नौ सौ चौतीस) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय । ''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1988-89 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-07 पर अंकित मांग संख्या-09 '' बिक्री-कर'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1988-89

के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 46,56,934/-(छियालीस लाख छप्पन हजार नौ सौ चौतीस) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1990-91 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ -08 पर अंकित मांग संख्या-37 '' लघु सिंचाई, भू और जल संरक्षण '' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 18,26,55,732/-(अठारह करोड़ छब्बीस लाख पचपन हजार सात सौ बत्तीस) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' वित्तीय वर्ष 1990-91 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ -08 पर अंकित मांग संख्या-37 '' लघु सिंचाई, भू और जल संरक्षण '' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 18,26,55,732/-(अठारह करोड़ छब्बीस लाख पचपन हजार सात सौ बत्तीस) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' वित्तीय वर्ष 1998-99 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ -09 पर अंकित मांग संख्या-30 '' अल्पसंख्यक कल्याण विभाग '' के संबंध में 1998-99 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किए गए व्यय के विनियमन के लिए 33,02,296/-(तेंतीस लाख दो हजार दो सौ छियानवे) रुपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय । ''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

टर्न-12/24.07.2019/बिपिन

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''वित्तीय वर्ष 1998-99 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-9 पर अंकित मांग संख्या-30 ''अल्पसंख्यक कल्याण विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 33,02,296/- (तैतीस लाख दो हजार दो सौ छियानवे) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-10 पर अंकित मांग संख्या-40 ''राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 87,658/- (सतासी हजार छ: सौ अनठावन) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाए ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल के सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-10 पर अंकित मांग संख्या-40 ''राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 87,658 (सतासी हजार छ: सौ अनठावन) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-11 पर अंकित मांग संख्या-11 ''उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 43,97,770 (तैतालीस लाख सनतानवे हजार सात सौ सत्तर) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाए ।''

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-11 पर अंकित मांग संख्या-11 ''उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 43,97,770/- (तैतालीस लाख सनतानवे हजार सात सौ सत्तर) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''वित्तीय वर्ष 2015-16 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-13 पर अंकित मांग संख्या-35 ''योजना एवं विकास विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 1,19,00,34,806/- (एक अरब उन्नीस करोड़ चौंतीस हजार आठ सौ छः) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाए ।

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है । यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''वित्तीय वर्ष 2015-16 के अधिकाई व्यय विवरण के पृष्ठ-13 पर अंकित मांग संख्या-35 ''योजना एवं विकास विभाग'' के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थतः अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 1,19,00,34,806/- (एक अरब उन्नीस करोड़ चौंतीस हजार आठ सौ छः) रूपये के अधिकाइ अनुदान की राशि प्रदान की जाए ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

अध्यक्ष : ''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16 विधेयक, 2019''

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16 विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16 विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16 विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16 विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

इस विधेयक के दोनों खण्डों से संबंधित कुल 11 अनुसूचियॉं हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''अनुसूचियॉं इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचियॉं इस विधेयक का अंग बनीं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न : 13/कृष्ण/24.07.2019

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो" ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इस अधिकाई व्यय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा । सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि विधान मंडल जो बजट पारित करता है और जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो कोई विभाग, विधान मंडल से जितनी राशि की स्वीकृति मिली है, उससे ज्यादा वह खर्च नहीं कर सकता है । उसी सीमा में उसको खर्च करना है । क्योंकि विधान मंडल ने उतनी ही राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है । लेकिन दो प्रकार से - एक तो यह कि अगर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विभाग को लगता है कि कुछ और राशि खर्च किया जाना आवश्यक है जिसकी तत्काल आवश्यकता है तो वह एडवांस लेता है बी.सी.एफ. से, जो कंटीजेंसी फंड है, उससे वह अग्रिम निकाल लेता है और अग्रिम निकालने के बाद जब अनुपूरक व्यय, सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाता है और दूसरा है कि वित्तीय वर्ष के बीच में अगर किसी विभाग को लगता है कि कोई नई योजना है और अधिक राशि की आवश्यकता है तो फर्स्ट सप्लीमेंटरी, सेकेंड सप्लीमेंटरी, थर्ड सप्लीमेंटरी, फोर्थ सप्लीमेंटरी अनुपूरक व्यय विवरणी में उसका प्रावधान करके विधान मंडल की वह अनुमति प्राप्त करता है । यानी बजट आवंटन से अगर ज्यादा खर्च करना वित्तीय वर्ष के बीच में या तो आप कंटीजेंसी से एडवांस लेकर खर्च करते हैं या आप सप्लीमेंटरी के माध्यम से उसका प्रावधान कराकर और विधान मंडल के दोनों सदनों से उसकी अनुमति प्राप्त करते हैं और तभी आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह है एक्सेस विड्रॉवल यानी विधान मंडल के दोनों सदनों ने अगर 1000/-रू0 खर्च करने की आपको स्वीकृति प्रदान की सप्लीमेंटरी के भी माध्यम से या बी.सी.एफ. के भी माध्यम से और किसी कारण से आपने 100 रूपया ज्यादा खर्च कर दिया तो वैसी स्थिति में एक प्रक्रिया निर्धारित है कि सदन को ज्ञात है कि वित्त विभाग के जो भी एकाउंट्स हैं, जो भी लेखे हैं, वह महालेखाकार के पास जाता है और महालेखाकार जब एकाउंट्स प्रस्तुत करता है

तो वह उसमें इस बात का जिक्र करता है कि इस वित्तीय वर्ष में यह अधिकाई व्यय हुआ है और तब वित्त विभाग उसका जवाब देता है कि अधिकाई व्यय क्यों हुआ और फिर यह लोक लेखा समिति के पास जाता है और परिपाटी रही है कि लोक लेखा समिति का जो चेयरमैन है, वह सत्ता पक्ष का नहीं साधारणतया वह विपक्ष का व्यक्ति होता है और लोक लेखा समिति उसकी पूरी समीक्षा करता है और तब वह अनुशंसा करती है कि यह जो खर्च किया गया है, यह नियमानुकूल है और तब फिर विधान मंडल के समक्ष उसको रेगुलराईज करने के लिये, नियमित करने के लिये विनियोग विधेयक के माध्यम से उसको पेश किया जाता है तो अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर लोक लेखा समिति ने 1977-78 से 2015-16 तक के कुल 142.47 करोड़ रूपये को विनियमन करने के लिये सहमति दी और उसी के अनुरूप यह विनियोग विधेयक यहां पर लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि एक्सेस विड्रॉवल क्यों हो जाता है और हर एक्सेस विड्रॉवल कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है । एक तो कि एक समय में यह कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था नहीं थी। इसलिये वेतन मद में, आकस्मिक मद में जितना खर्च होना चाहिए था उससे ज्यादा का विड्रॉवल कर लिया गया क्योंकि कम्प्यूटराईज्ड नहीं होने के कारण पता नहीं चलता था कि कितनी निकासी हुई है ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आज जो लाया गया है उसमें एक बिक्री कर से जुड़ा हुआ है । बिक्री कर की वापसी हुई, जो वसूली हुई, वह गलत हेड में चढ़ा दिया गया । फिर एक और कारण होता है कि महालेखाकार कार्यालय ने उस साल उस खर्च का लेखांकन नहीं किया और अगले वर्ष के अंदर वह चला गया तो उस प्रकार का इसके अंदर 119 करोड़ रूपया जो योजना विकास विभाग का है और उसी प्रकार का है तो ये सब अनेक कारण थे अध्यक्ष महोदय जिसके कारण अधिकाई व्यय कई बार हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर 657.98 करोड़ यह पशुपालन विभाग से संबंधित अधिकाई व्यय है जिस पर न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गयी है और इसीलिये पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ जो अधिकाई व्यय है, वह कोर्ट के आदेश से उस पर रोक लगाई गई, इसीलिये लोक लेखा समिति उस पर विचार नहीं कर सकती है और अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक्सेस विड्रॉवल पशुपालन विभाग में हो गया कि 1990-91 में बजट आवंटन था 54 करोड़ 92 लाख और विदड्रॉ हो गया 84 करोड़ यानी 29 करोड़ ज्यादा

निकल गया । वर्ष 1991-92 में प्रावधान था 59 करोड़ और निकल गया 129 करोड़ यानी 70 करोड़ बजट आवंटन से ज्यादा निकाल लिया गया । 1992-93 में बजट प्रावधान था 66 करोड़ और निकल गया 154 करोड़ यानी प्रावधान से 87 करोड़ ज्यादा निकाल लिया गया । 1993-94 में प्रावधान था 74 करोड़ और निकाल लिया गया 199 करोड़ । वही तो मैं बता रहा हूं । जो रोक लगा दिया गया, यह समझना जरूरी है न ।

(व्यवधान)

वह 199 करोड़ यानी 125 करोड़ रूपया ज्यादा खजाने से निकाल लिया गया । 1994-95 में 74 करोड़ का प्रावधान किया गया था और खजाने से 170 करोड़ रूपया उससे ज्यादा निकाल लिया गया अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, यह जो 657 करोड़ रूपया जो अधिकाई व्यय की राशि है, वह कोर्ट के आदेश से विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

थोड़ा बैठ जाईय न । थोड़ा समझने का प्रयास कीजिये प्रहलाद जी । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 959 भेड़, 5664 सुअर, 40 हजार मुर्गियां, 1577 बकरियों के लिये 6 जिले में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसके विरूद्ध 253 करोड़ रूपये की फर्जी निकासी कर ली गयी ।

उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, बादाम की खल्ली मिलाने के लिये संयुक्त आहार में 15 प्रतिशत होती है परन्तु 33 गुना अधिक जिसकी कीमत 72 करोड़ रूपये होती है, वह खरीद दिखा दिया गया ।

उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, तेल, भैस और गाय के सींग में तेल लगाने के लिये खरीदा जाता है तो सींग में तेल लगाने के लिये ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह सब क्या अधिकाई व्यय है ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : जी । तेल खरीदने के लिये 15 लाख रूपये का 49,950 किलो सरसों का तेल खरीदा गया । अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने इस बात का जिक्र कर दिया कि पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ जो 657 करोड़ का अधिकाई व्यय है, वह कोर्ट के अन्तर्गत विचाराधीन है । इसलिए उसकी अनुशंसा नहीं की गयी है । इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि 149 करोड़ 38 लाख रूपये की जो अधिकाई व्यय है, उसकी अनुमति प्रदान की जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य चन्द्रसेन जी, बैठिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1998-99, 1999-2000, 2003-04, 2010-11 एवं 2015-16) विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-14/अंजनी/24.07.2019

राजकीय विधेयक

"बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार हो।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत

पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : जी हां ।

अध्यक्ष : मूव करिए ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।"

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मात्र एकमुश्त कर के नाम पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है । इनका इतना से ही तात्पर्य है । इनका यह तात्पर्य नहीं है कि बिहार की परिवहन व्यवस्था जो चरमरा गयी है, समाप्त हो गयी है, उसको कैसे दुरूस्त किया जाय । आज आप देखते होंगे कि बिहार की परिवहन व्यवस्था कैसी है । पूर्व में, कांग्रेस के शासन काल में परिवहन व्यवस्था कैसी थी, आप जानते ही हैं। मंत्री रेंक के लोग अध्यक्ष होते थे और इसकी व्यवस्था करते थे। आज जितनी ही सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, आप देखते होंगे, सब बुडको का दिया हुआ है । 225 से अधिक गाड़ियां बुडको ने दिया है । आपकी अपनी गाड़ी बहुत कम है । इतना-ही नहीं, हुजूर, मैं इसलिए भी इस ओर ध्यान दिला रहा हूँ, इसके साथ मैं इसको जोड़ रहा हूँ । जो गाड़ियां हैं, वह बीस-बीस वर्षों की पुरानी गाड़ियां हैं, उससे तो प्रदूषण अलग फैलता है, दुर्घटनायें भी बढ़ती है, मगर राजस्व में तो आपको कोई कमी नहीं हुई है, इस राजस्व को आप कहां खर्च करते हैं ? आप कहीं नहीं खर्च करते हैं । दूसरी ओर आप ले आये एकमुश्त का परिभाषा बदलने के लिए, एकमुश्त पहले था आजीवन भर के लिए और अब उसको 15 वर्ष के लिए निहित कर रहे हैं । जिसमें कहीं भी महिलाओं की चर्चा नहीं है कि महिलाओं के लिए जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, उसके लिए आप इसपर क्या फैसला करते हैं । आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, दलितों के लिए, इन लोगों के लिए आप टैक्स का रेट रखे हैं । इसके लिए तो आवश्यक रूप से मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति और इन समुदायों के प्रति काफी ध्यान रखते हैं, अभिरूचि रखते हैं तो टैक्सेशन में क्यों नहीं इनके प्रति ख्याल रखा जाता है, चूंकि गाड़ियां तो बैंक से लेने का प्रावधान है, गरीब लोगों को रिक्शा देते हैं, मोटरचालित रिक्शा देते हैं, वाहन देते हैं, फिर भी टैक्स के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जरा भी नहीं किया गया है । यह त्रुटिपूर्ण इनका यह संशोधन है और जहाँ तक एकमुश्त का सवाल है, एकमुश्त को क्यों सीमित करना चाहते हैं 15 वर्ष के लिए,

अगर चार आदमी का शेयर गाड़ी में है तो किसके नाम से टैक्सेशन होगा, यह इनको संशोधन में क्लीयर करना चाहिए । (व्यवधान) आज कोई भाषण थोड़े ही है, आज तो मैं संशोधन मूव किया हूँ, संशोधन पर बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष : अभी तो आप संशोधन कहाँ दिये हैं, अभी तो सिद्धांत पर विमर्श कर रहे हैं । अभी जो आप कर रहे हैं और संशोधन पर जो दीजिएगा, इस बीच में भी आप कई बार हैं।

श्री रामदेव राय : हैं, लेकिन उसमें कम समय लेंगे, इसमें एक-दो मिनट और लेकर खतम कर देते हैं । मेरा ख्याल है कि आप रोकते इसलिये हैं कि हम डिस्टर्ब हो जायं और कम बोलें। इसके लिए आपको धन्यवाद ।

अध्यक्ष : मुझे पूरा विश्वास है कि आप डिस्टर्ब नहीं होइयेगा ।

श्री रामदेव राय : सर, मेरा कहना है कि रजिस्ट्रीकरण के नियम को बदला जाय और अगर मान लिया जाय कि तीन-चार-पाँच आदमी मिलकर कोऑपरेटिव ढंग से किसी गाड़ी को खरीदते हैं तो टैक्स किसके नाम से लेंगे ? अगर वह आदमी बीच में ही मर जाते हैं, फिर वही संयुक्त रूप से खरीदी हुई गाड़ी पर, तो उनका टैक्सेशन किसके नाम से होगा ? मेरे ख्याल से, जो मेरा ज्ञान है, उसके मुताबिक बोल रहा हूँ, उसके टैक्सेशन को आपको क्लीयर कर देना चाहिए । ऐसे तो सरकार की क्या नियत है, किस रूप से आप संशोधन पेश कर रहे हैं, फायदा ही क्या है, हमलोग सिद्धांत पर बोलते हैं, बोलने से क्या लाभ है ? आप तो शपथ ले लिये हैं कि कोई भी संशोधन आयेगा उसको मंजूर करना ही नहीं है । हमलोग तो केवल औपचारिकता का निर्वहन करते हैं । इसलिये मेरा कहना है कि इससे परिवहन को अगर चुस्त और दुरूस्त करते हैं तो सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए अलग-अलग टैक्सेशन हो । कॉमर्शियल के लिए अलग हो, यात्री वाहन के लिए अलग हो, प्राइवेट गाड़ियों के लिए अलग हो, नहीं तो इससे तो कुछ स्पष्ट होता ही नहीं है कि किन गाड़ियों के लिए यह टैक्सेशन है । हमारे नाम से गाड़ी है और अब एकमुश्त कर, देखिये कितना अच्छा था कि आजीवन एक ही बार दे देना पड़ता था टैक्स । अब आप इसको 15 वर्ष कर रहे हैं । इसमें कम से कम इसको रिलैक्स कीजिये और कम से कम 25 से 50 वर्ष के अन्दर में रखिये । यही मेरा कहना है।

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ें !

श्री रामदेव राय : बढ़िये आगे तो फिर मैं बोलूँगा ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक- 31 अक्टूबर, 2019 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह कहते हुये कि श्रीमान अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो जनमत जानने के लिए इसको परिचारित किया जाय । बस इतना ही कहना है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक- 31 अक्टूबर, 2019 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में तीन संशोधन है ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय द्वारा खंड-2 के उपखंड (1) में समरूप संशोधन दिया गया है । चूंकि श्री समीर कुमार महासेठ प्रथम हैं, अतएव क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

टर्न-15/राजेश/24.7.19

श्री समीर कुमार महासेठः मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः

''कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) में प्रस्तावित संशोधन के दूसरी पंक्ति के अंक ''पंद्रह'' के स्थान पर अंक ''पच्चीस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए लाया है कि अभी पंद्रह वर्ष का जीवन मानकर गाड़ियों का टैक्स की व्यवस्था की जा रही है । महोदय, आप अवगत है कि बिहार राज्य पूरे देश में गरीब राज्य है और यहाँ के निवासियों का क्रय शक्ति भी कम है, इसलिए इसको सरकार माने और पंद्रह वर्ष को पच्चीस वर्ष माना जाय, चूंकि एक तरफ पूरे देश में हम देख रहे हैं कि चार करोड़ में दो करोड़ हमारे गरीब हैं, जो मैक्सिमम ड्राईवर से ले करके, सब यहाँ से पूरे देश में जाते हैं और जब वहाँ से लौटते हैं, तो गाड़ी ले करके कहीं से आते हैं, तो निश्चित तौर पर तेल पर पच्चीस परसेंट टैक्स है, पूरे बिहार में आप सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, दिल्ली में सात परसेंट, दूसरे जगह ग्यारह परसेंट, तो उसके हिसाब से हमको लगता है कि चूंकि हम गरीब से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जहाँ कम से कम वन टाईम टैक्स प्रणाली थी, उसमें कम से कम अभी पच्चीस वर्ष रखा जाय ताकि आगे उन गरीबों के सम्मान में और जो नियम है हमेशा कि पोलुशन के हिसाब से हम यह देखेंगे, चेक करेंगे, पोलुटेड नहीं हो, वह एक अलग है लेकिन अगर हम पच्चीस वर्ष नहीं करते हैं, तो जहाँ वन टाईम टैक्स का था, उसमें हम पच्चीस वर्ष रखते हैं, चूंकि 80 से पहले की जो गाड़िया थीं, वह अभी भी चल रही हैं, उतनी गाड़ियाँ चलती नहीं है, जो गरीब हैं, वे तो उतना तेल ही नहीं भरा पायेंगे, तो कितना चलेंगे, दिन भर 10 किलोमीटर तो 25 वर्ष में कितना चलेंगे, तो हम समझते हैं कि इसको माना जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (1) में प्रस्तावित संशोधन के दूसरी पंक्ति के अंक ''पंद्रह'' के स्थान पर अंक ''पच्चीस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अब दूसरा संशोधन श्री रामदेव राय जी का । क्या रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री रामदेव राय: मूव करेंगे, चूंकि खंडशः हमारे संशोधन का ब्योरा ऑर्डर पेपर में नहीं दिया गया है, इसलिए आप पढ़कर सुना दीजिये, तो अच्छा होता ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (2) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''संपूर्ण जीवन के लिए'' को विलोपित किया जाय ।

अध्यक्ष: आप उसमें लिखे हैं कि ''संपूर्ण जीवन के लिए'' को विलोपित किया जाय ।

श्री रामदेव राय: जी । मैंने इसलिए इसे लिखा हूँ कि सरकार यह जानती है कि रास्ते में चलते समय किसी वाहन से एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको आप मुआवजा

देते नहीं है, आपको एक आदमी को मुआवजा देने के लिए कम से कम तीन, चार आदमी मरे, यह आप चाहते हैं, इसपर सेंसेटिव सरकार नहीं है और आप टैक्सेशन को यहाँ तक ला दिये हैं, तो कम से कम यह कीजिये कि जीवन भर के लिए एक ही बार वह टैक्स दे दे और मुक्त हो जाय और उसका जो को-शेयरर हैं, वह रजिस्टर्ड हो जाय साथ-साथ कि हम रजिस्टर्ड हैं, तो जब हमारे एक साथी नहीं रहेंगे, तो दूसरे साथी इसके उत्तरदायी होंगे । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इसी क्रम में कि आप जरुर इस संशोधन में अपना जवाब दे दें कि अब से जो भी सड़क दुर्घटनाएँ होंगी, तो अगर एक आदमी मरेगा, तो उसको भी हम उतना ही अनुदान देंगे, तीन, चार आदमी मरने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, मुजफ्फरपुर की तरह 200 बच्चे मर जाय, कोई चिंता नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी चिंता करें ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (2) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''संपूर्ण जीवन के लिए'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अब श्री समीर कुमार महासेठ जी का दूसरा संशोधन, यह तो उसी तरह का है, पंद्रह को पच्चीस करने वाला ।

श्री समीर कुमार महासेठ: जी । सेम है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (2) के तीसरी पंक्ति के अंक ''पंद्रह'' के स्थान पर अंक ''पच्चीस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक के खंड-2 के उपखंड (2) के तीसरी पंक्ति के अंक ''पंद्रह'' के स्थान पर अंक ''पच्चीस'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

''कि खंड-2 इस विधेयक का अंगे बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

''कि खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

''कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

''कि नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-16/सत्येन्द्र/24-7-19

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष: और कोई नहीं, चलिये बोलिये मंत्री जी।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक का प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया है तथा इस विधेयक पर सहमति प्रदान करने हेतु मैं सदन से अनुरोध करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आप अवगत हैं कि बिहार राज्य में राजस्व की प्राप्ति करने वालों विभागों में से एक प्रमुख विभाग परिवहन विभाग है । परिवहन विभाग राजस्व की वसूली कर के माध्यम से, शुल्क के माध्यम से, शमन के माध्यम से करता है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि राज्य में गाड़ियों के निबंधन प्रमाण-पत्र 15 वर्षों के लिए दिया जाता है । इस अवधि के पूरा होने के बाद पुन: निबंधन किया जाता है । इसी क्रम में प्रथम निबंधन के समय वाहन स्वामियों से एकमुश्त कर लिये जाने का प्रावधान है लेकिन बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में स्पष्ट अवधि का उल्लेख नहीं रहने के कारण वाहन स्वामियों द्वारा पृच्छा की जाती है कि यह एकमुश्त कर कितने दिनों के लिए होगा । वाहन स्वामियों में अवधि को लेकर एक संशय की स्थिति बनी रहती थी । राज्य सरकार ने इस बात को समझा तथा उन्हें यह संशय की स्थिति से बाहर करने का फैसला किया एवं इसी उद्देश्य से प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से एकमुश्त कर को स्पष्ट करने का प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष लेकर आया हूँ जिसके अनुसार

एकमुश्त कर का अर्थ 15 वर्षों के लिए लिये जाने वाला कर होगा । इस अवधि की गणना वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से होगा । अतः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा लाये गये संशोधन के संबंध में मैंने सदन के समक्ष सरकार की भावना को स्पष्ट कर दिया है तथा सदन से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को ध्वनिमत से सहमति प्रदान करते हुए इस पर अपनी स्वीकृति दें ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक, 2019 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 53 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।